The Code on Wages, 2019

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : आदरणीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि मजदूरी और बोनस संबंधी विधियों का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

आदरणीय सभापति जी, आज मैं देश के श्रमिकों के अधिकारों को देने वाला एक ऐतिहासिक बिल – The Code on Wages, 2019 –सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। यह बिल 30 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पेश हुआ था और अधिकांश माननीय सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया था। लोक सभा में यह बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था।

वर्तमान श्रम कानून बहुत पुराने समय के हैं। इनमें से कुछ श्रम कानून तो 50 वर्षों से भी पुराने हैं और कुछ तो आजादी से भी पहले के हैं। बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुरूप इन श्रम कानूनों को तर्कसंगत, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने के लिए, आदरणीय श्री अटल जी की सरकार के समय, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया था। इसकी सिफारिशें 2002-03 में सरकार को दे दी गई थीं। इसके पश्चात् लगभग 10 वर्षों तक उन सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन 2014 में, आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद, श्रम सुधारों में प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्य किया गया है। महोदय, इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि श्रम मंत्रालय में किसी भी परिवर्तन के लिए एक लम्बी प्रक्रिया है। कम से कम 13 मजदूर संगठनों, employers और राज्य सरकारों से पहले चर्चा करनी पड़ती है, जिसमें समय लगता है। उसके बाद आम राय से ही कोई परिवर्तन करना संभव हो पाता है। महोदय, इस कोड को बनाने से पूर्व 10 मार्च, 2015 को पहली त्रिपक्षीय वार्ता यानी tripartite consultation, जिसमें श्रम संगठन, नियोक्ता और राज्य सरकार, तीनों पक्ष शामिल हुए थे तथा दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता 13 अप्रैल, 2015 को हुई थी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सर्वप्रथम इस वेजेज़ कोडा का एक ड्राफ्ट 21 मार्च, 2015 से 20 अप्रैल, 2015 तक मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध करवाया गया था, जिसमें आम जनता ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा भी लिया था और अपने सुझाव भी दिए थे। इन सुझावों को भी इस कोड में consider किया गया।

महोदय, कोड ऑन वेजेज़ सोलहवीं लोक सभा में 10 अगस्त, 2017 को तत्कालीन श्रम मंत्री, श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने लोक सभा में पेश किया था और उसके पश्चात् आदरणीय श्री किरीट सोमैया जी की अध्यक्षता वाली स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट 18 दिम्बर, 2018 को दी थी और इसलिए यह बिल आज राज्य सभा में पेश किया जा रहा है। महोदय, वेजेज़ कोड पर स्टैंडिंग कमेटी ने 24 अनुशंसाएं दी थीं, इनमें 17 अनुशंसाएं सरकार ने मान लीं और उन सभी को हमने इसमें जोड़ दिया। हम सभी सदस्य जानते हैं कि श्रम मंत्रालय 32 केन्द्रीय श्रम कानूनों को चार कोड्ज़ में समाहित कर रहा है। इसी दिशा में कोड ऑन वेजेज़, जिसके अंतर्गत

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

वेजेज़ से संबंधित चारों एक्ट्स समाहित हो रहे हैं। इसमें पहला कोड Payment of Wages Act, जो आज़ादी से पहले का 1936 का है, दूसरा कोड Minimum Wages Act, 1948 का है, तीसरा कोर्ड Payment of Bonus Act, 1965 का है और Equal Remuneration Act, 1976 का है। जहां तक इस कोड की मुख्य बातों का प्रश्न है, Code on Wages के द्वारा देश के सभी संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के लगभग 50 करोड़ मजदूर भाई-बहनों को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार दिया जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है।

महोदय, समजा का वह वर्ग, जो अब तक न्यूनतम मजदूरी की परिधि से बाहर है, विशेषकर असंगठित क्षेत्र, चाहे वह फिर एग्रीकल्चर वर्कर हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे सिर पर बोझा ढोने वाला हो, घरों में सफाई या पोताई करने का काम करने वाला हो, ढाबों में काम करने वाला हो, घरों में काम करने वाली हमारी माताएं-बहनें हों या फिर गली-मोहल्लों में विभिन्न प्रतिष्ठानों की रखवाली करने वाले हमारे चौकीदार भाई लोग हों, समस्त कार्यबलों को यह कानून बनने के बाद न्यूनतम मजदूरी का अधिकार मिलेगा।

महोदय, सभी को न्यूनतम मजदूरी तो मिले, पर साथ ही न्यूनतम मजदूरी समय पर मिले। हम लोग यह भी इस कोड में सुनिश्चित कर रहे हैं। मासिक वेतन वाले को अगले महीने की 7 तारीख तक, साप्ताहिक आधार पर काम करने वालों को सप्ताह के अंतिम दिन और जो दैनिक काम करते हैं, दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर भाई-बहनों को उसी दिन मजदूरी मिले, इसका प्रावधान हम लोग इस कोड में कर रहे हैं। इस प्रकार, दैनिक हो, साप्ताहिक हो या मासिक हो, समस्त कार्यबल को समय पर वेतन मिले, इस कोड के माध्यम से हम लोग यह सुनिश्चित कर रहे हैं।

महोदय, तीसरी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि कितनी मजदूरी तय की जा रही है। हम सब जानते हैं कि आज की स्थिति में केन्द्र एवं राज्य सरकार अपने-अपने परिक्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी की दरें तय करती हैं। 2017 में केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय परिक्षेत्र में जिसके अंतर्गत रेलवेज़, पोर्ट्स, माइन्स, ऑयल सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस एवं समस्त केन्द्रीय पीएसयूज़ आते हैं, उनमें न्यूनतम मजदूरी की दरों में 42 परसेंट की ऐतिहासिक वृद्धि की थी। मैं कोई विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। अकुशल श्रेणी के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में 2017 से पहले 237 रुपये रोज की मजदूरी थी, 2017 के बाद इसको 333 रुपये किया गया था। अति कुशल श्रेणी के लिए 312 रुपए से बढ़ा कर 438 रुपये की गई थी। गैर-कृषि क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र वगैरह में अकुशल श्रेणी के लिए पहले 374 रुपए थी, अब वह 523 रुपए हो गई है और अति कुशल श्रेणी के लिए 495 से 693 रुपए की गई है। यह मैंने आपको जानकारी देने का काम किया है।

महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्यों द्वारा अपने परिक्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है, परंतु कई राज्यों ने कुछ scheduled employment में काफी कम न्यूनतम मजदूरी तय की हुई है, उदाहरणस्वरूप 55 रुपए प्रति दिन, 69 रुपए प्रति दिन, 115 रुपए प्रति दिन।

मैं उन राज्यों का नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। इस विसंगति को दूर करने के लिए इस कोड के अंतर्गत एक floor wage तय किया जाएगा और floor wage एक त्रिपक्षीय संस्था द्वारा, जिसके अंतर्गत ट्रेड यूनियन्स, employers और राज्यों के संयुक्त परामर्श के बाद हम लोग यह निर्धारित करेंगे। सभापति जी, floor wage, वह मिनिमम वेज है, जिससे कम वेज कोई राज्य सरकार तय नहीं कर पाएगी। हालांकि, अपनी आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार अभी भी राज्य सरकारों के पास रहेगा और इस काम के लिए वे स्वतंत्र हैं। नियोक्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सोच में परिवर्तन लाने की दृष्टि से अब inspector के स्थान inspector-com-fafilitator शब्द का प्रयोग किया जाएगा और ये inspection करने के साथ-साथ नियोक्ताओं को कानून के प्रावधानों के अनुपालन में सकारात्मक मार्गदर्शन भी देंगे। जहां तक employers का प्रश्न है, इसमें penalties को भी तर्कसंगत बनाया गया है। Violation के हिसाब से इसमें 10 हजार से 1 लाख तक का दंड रखा गया है।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आगे समाधान के लिए भी कुछ बचना चाहिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, दो मिनट...**(व्यवधान)**...इसके अंतर्गत सज़ा का प्रावधान भी किया गया है। सभापति जी, कोड वेजेज़ एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगा, जो सभी 50 करोड़ मजदूर भाई-बहनों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देगा। इस अभूतपूर्व कार्य में मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। हमारे देश का प्रत्येक श्रमिक भी एक सम्माननीय जीवन व्यतीत करे, हम सब लोग यह चाहते हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि लोक सभा में सभी सदस्यों ने पूरी सहमति के साथ इसका समर्थन किया था। मैं मानता हूं कि यह बड़ा सदन इस बात को निश्चित रूप से समझता है और इस काम को समर्थन देने का काम करेगा।

श्री सभापति : गंगवार जी, अच्छा है। Motion moved. There are two Amedments by Shri Elamaram Kareem and Shri Binoy Viswam for reference of the Code on Wages, 2019, as passed by Lok Sabha, to Select Committee of the Rajya Sabha. Members may move the Amendments at this stage without any speech. Shri Elamaram Kareem, are you moving?

Motion for Reference of the Bill to Select Committee

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala) : Sir, I move:

"That the Bill to amend and consolidate the laws relating to wages and bonus and matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri Elamaram Kareem
2. Shri Tiruchi Siva

3. Shri Binoy Viswam
4. Shri Majeed Memon
5. Prof. Manoj Kumar Jha
6. Shri Sanjay Singh
7. Mir Mohammad Fayaz
8. Shri Nazir Ahmed Laway
9. Shri B. K. Hariprasad
10. Shri Ashok Siddharth

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

MR. CHAIRMAN: Shri Binoy Viswam, are you moving your Amendment?

Motion for Reference of the Bill to Select Committee

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I move:

"That the Bill to amend and consolidate the laws relating to wages and bonus and matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri Elamaram Kareem
2. Shri Jairam Ramesh
3. Shri Javed Ali Khan
4. Shri Majeed Memon
5. Shri Ashok Siddharth
6. Shri Abdul Wahab
7. Shri B. K. Hariprasad
8. Prof. Manoj Kumar Jha
9. Ch. Sukhram Singh Yadav
10. Shri Binoy Viswam
11. Shri V. Vijayasai Reddy
12. Shri Vaiko
13. Shri M. Shanmugam

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha" .

The questions were proposed.

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, इस पर स्टैंडिंग कमिटी ने बहुत लंबे समय तक चर्चा की थी। मुझे नहीं लगता है कि इसकी आवश्यकता होगी।

MR. CHAIRMAN: Still they are not moved, so, they are moving it. यह होने दीजिए इसमें क्या है? In spite of being unanimously passed by Lok Sabha and Standing Committee में सर्वसम्मति बनी। यह ठीक है। मंत्री जी भी बहुत अनुभवी हैं। I think he is an eight times M.P.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Eight time M.P. from the same constituency! Shri Madhusudan Mistryji. आपको पार्टी ने 12 मिनट का समय दिया है। इस हिसाब से 1 मिनट इधर-उधर...**(व्यवधान)**...

श्री मधुसूदन मिस्त्री (गुजरात) : सर, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, थोड़े सजेशंस दूंगा।

सर, मैं इस बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल इस देश के करोड़ों लोगों को affect करता है। यह उनकी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेज़ ला सकता है। सैकड़ों लोग नहीं, हजारों लोग, यूनियंस, छोटे ग्रुप्स वगैरह, इस मिनिमम वेज को पाने के लिए अलग-अलग जगहों पर अपनी अलग-अलग लड़ाई कर रहे हैं। उसमें कितने ही विक्टिम्स भी होते हैं। सर, यह subsistence wage हैं। इंसानों को काम करने के लिए per day जो एनर्जी यूज़ होती है, वह एनर्जी उसमें वापस recoup हो और वह उतना ही प्रोडक्शन कर सके, इस बेसिस पर मापदंड तय करके दिया गया है। मैं आज जो काम कर रहा हूं, उस काम में मेरी शक्ति यूज़ होती है। अगर मुझे पूरा खाना नहीं मिलेगा, खाना खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, तो मुझ में वह शक्ति घटती जाएगी, जिसकी वजह मैं जिस काम पर जाऊंगा, उस काम में मेरा प्रोडक्शन, उत्पादन कम होगा और इससे इंडस्ट्री या जिसके लिए भी काम किया जा रहा है, उन्हें loss होगा। इस हिसाब से एक subsistence level पर उसको क्या मिल सकता है? मेरे हिसाब से, it is unfortunate कि आज इतने साल होने के बावजूद भी पहले की सरकार भी और यह सरकार भी, दोनों अभी तक मिनिमम वेज की ही बात कर रहे हैं। हम फेयर वेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लिविंग वेज की बात नहीं कर रहे हैं। इस पूरे कोड में आपने फेयर वेज वर्ड कहीं पर भी यूज़ नहीं किया। वैसे आपने चारों ऐक्ट्स को amalgamate करके यह एक concise ऐक्ट बनाया है और इसमें wages definition वगैरह दी है। इसमें कितनी चीज़ें dilute हुई हैं और कितनी चीज़ें नहीं हैं। अपने इसके अंदर थोड़ा assure किया हुआ है, लेकिन कई चीज़ों पर आपको इस हाउस के अंदर assurance देना पड़ेगा।

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

सर, Payment of Wages Act इसलिए लाया गया था, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कई लोगों को recession के अंदर उनकी परी तनख्वाह कैश में नहीं दी जाती थी, बल्कि उनको कपड़ा देकर यह कहा जाता था कि इसको बेचकर आप अपनी तनख्वाह ले लो। उस वजह से Payment of Wages Act आया था। सर, अगर कभी किसी को यह पता करना हो कि उसको तनख्वाह में कितने पैसे मिलते हैं, कितने दिन उसने काम किया है और उसे कितने दिनों की पगार मिलनी चाहिए, उसकी कोई स्लिप उनको नहीं दी जाती थी, इसलिए Payment of Wages Act के अंदर wage slip का प्रावधान किया गया, ताकि उसे यह पता चले कि उसका कितना deduction है, उसके कितने पैसे हैं, उसने कितना काम किया है और उसके लिए उसे कितनी मजदूरी मिली है।

सर, मैंने फिर से यह कहा कि ऐसा subsistence level के ऊपर यह wage है और इसको देखकर हमेशा मैं साहिर लुधियानवी की एक कविता याद करता हूं। इस देश के अंदर हमारे जैसे कितने ही लोग होंगे, जो इसे याद करते होंगे। एक बहुत प्रसिद्ध Russian novelist, Dostoevsky थे, जिनकी novel के ऊपर सन् 1957-58 में "फिर सुबह होगी" नाम की एक फिल्म बनी थी, जिसके अंदर साहिर जी की उस कविता के बहुत सारे अंश लिए गए थे। उस कविता का जो पूरा अंश सिनेमा के अंदर आया है, उसको मैं नहीं बोलूंगा, बल्कि उसकी चार लाइंस में जरूर बताऊंगा। उस कविता के लास्ट में कवि बोलते हैं:

"मजबूर बुढ़ापा जब सूनी राहों की धूल न फांकेगा,
मासूम लड़कपन जब गंदी गलियों में भीख न मांगेगा,
हक़ मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी,
वह सुबह कभी तो आएगी, वह सुबह कभी तो आएगी।"

सर, मैं 40 साल से इस क्षेत्र में हूं। जब मैंने 15 साल की उम्र से काम करना शुरू किया, तो पढ़ते-पढ़ते काम करते-करते एक रुपये की मज़दूरी से शुरू हुई वह दास्तां 1967 तक चली। उसके बाद, मैं लेक्चररशिप छोड़कर यूनियन में गया। आज भी करोड़ों-करोड़ लोगों को minimum wages मुहैया नहीं होती हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने कमिटी के अंदर जो इतनी सारी मिटिंग्स कीं, सब कुछ हुआ, लेकिन wage fixation के अंदर calorie intake का criteria क्यों नहीं लिया गया? Calorie intake उसकी कार्य-शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए मैंने इसमें अमेंडमेंट दिया है। इसमें सबसे पहला सवाल fixation का आता है कि कितना पैसा होना चाहिए, कितने पैसे मिलने चाहिए। एक आदमी का जो unit है, उसमें तीन लोगों का एक यूनिट माना गया है- हस्बैंड, वाइफ, 14 साल का एक लड़का या 12 साल की एक लड़की, लेकिन वह western concept है। गरीब आदमियों के घर के अंदर उनके मां-बाप भी रहते हैं। आपने workers की definition के अंदर जो 18,000 रुपये की सीलिंग रखी है, जिसका मतलब उनकी मजदूरी 450 या 500 रुपये par day होती है। जहां तक calorie intake की बात है, एक आदमी को जो पैसा minimum wage के अंदर मुहैया किया जाएगा, उससे वह अपना काम चला सकता है या नहीं, तो मेरा जवाब 'न' में है।

सर, मैंने बहुत बार Time and Motions स्टडी की है। यह fixation वैसे time rate के ऊपर है, लेकिन होता यह है कि अगर कोई time rate की job वाले काम में है, उसी के ऊपर यह लागू होता है और ऐसी कैटेगरीज़ बहुत कम हैं, जिनके अंदर time rate use होता है। मैं यहां skilled, unskilled या semi-skilled की बात नहीं कर रहा हूं। Skilled और semi-skilled के अंदर उनकी skill की एक bargaining power है। सर, मेरी कम्युनिटी mason की है, we are bricklayers. अगर आप उसकी minimum wage 400 रुपये या 500 रुपये fix करेंगे, तो आपको कोई भी bricklayer 500 रुपये में नहीं मिलने वाला है। वह 700-800 रुपये लेगा, तब आपके यहां आएगा। एक carpenter 300-400 रुपये में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास उसकी skill की एक bargaining power है और वह bargain करता है, लेकिन unskilled labour के पास कुछ भी नहीं है। हज़ारों लोग सब जगह से माइग्रेट होते हैं, रास्ते पर पड़े रहते हैं, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं होती, कोई यूनियन के मेम्बर्स नहीं होते, उनको हम सिर्फ सरकार के लेबर डिपार्टमेन्ट के भरोसे पर और कांन्ट्रैक्टर के भरोसे रखते हैं। सर, इसके साथ जो most unfortunate चीज़ जुड़ी हुई है, वह यह है कि State should be the ideal employer. स्टेट वाले कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वे कॉन्ट्रैक्ट के लेबर्स होते हैं। सर, मैंने जंगलों में काम करने वालों की यूनियन अभी तक चलायी, मैंने एक साल पहले resignation दिया। Casual labourers जो mines में काम करते हैं, मैं उनकी यूनियन चलाता हूं, मैं उसका सेक्रेटरी था, मैंने agricultural labourers के साथ काम किया। यह होता है कि मिनिमम वेज के बारे में ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर करवाते हैं, कितना पैसा देना है, वे तय करते हैं, किसी को पता नहीं होता कि मिनिमम वेज क्या है। सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट, Irrigation Departments में ये सब काम कांन्ट्रैक्ट से होते हैं। और most unfortunate बात बताऊं कि जो सरकार का रेगुलर काम होता है, उसे अब NREGA के अंदर ट्रांसफर करते हैं। वह ट्रांसफर इसलिए करते हैं कि उसमें मिनिमम वेज नहीं है।

सर, मिनिमम वेज के Section 26(2) के अंदर सरकार exemption देती है कितने डिपार्टमेंटस को कामों के लिए and once they get the exemption from the Minimum Wages Act, no Act applies to them. You can pay as low minimum wage as possible. "वह केस भी नहीं कर सकता, वह Inspector inspection भी नहीं कर सकता। मैंने अमेंडमेंट के अंदर लिखा है कि five consumption units should be for one wage earner. The minimum food requirement should be 2,700 calories. The clothing reqirement should not be 72 metres. It should be minimum 100 meters. आप वह क्यों तय नहीं करते, आपने उसे कानून के अंदर क्यों नहीं डाला? मिनिस्टर साहब, आपने नीचे बोनस के अंदर लिखा है कि अगर बोनस के अंदर, डिडक्शन के अंदर, यदि कोई रेलवे कैटरिंग स्टाफ वाला बिल में पैसे लेना भूल गया, तो आप उसके पैसे काट लेंगे। फूडग्रेन industry के अंदर काम करने वाले आदमी से कुछ आगे-पीछे हो गया, उसकी चोरी हो गयी या उसने कुछ किया तो आप उसके पैसे काट लेंगे। आपने वह एक्ट में डाला है, यह क्यों नहीं डाला है? मेरे हिसाब से इस देश में सरकार गरीबी की बात बहुत करती है। हमने भी बहुत गरीबी देखी है और अनुभव भी है। आप इस चीज़ को एक्ट

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

के अंदर क्यों नहीं लाते? आपने इसमें calorie intake क्यों नहीं डाला, इसमें fixation criteria क्यों नहीं डाला? आप एक कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में even variable DA के अंदर कौन से item का कितना वेट है, यह कौन तय करता है? आप वाकई neutralize करते हैं, जो कुछ भी मिनिमम वेज हुआ। सर, यह जो पूरा कानून है, जिसमें आज सरकार के पास मौका था कि इस देश के 45-48 करोड़ लोगों की ज़िन्दगी के अंदर बहुत बड़े changes ला सकते थे। आपको तो पैसा नहीं देना पड़ता है, आप employer और मालिक की क्यों तरफैन कर रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं? आपने लिखा कि यदि किसी का बोनस के अंदर कोई dispute हो, तो आप उसको balance-sheet नहीं देंगे। कानून के अंदर you cannot demand if you have any dispute over computation of bonus or the quantum of bonus. You can refer the dispute to the Adjudication Officer and the Adjudication Officer cannot reveal the information without the permission of that company. सर, हम textile के bonus के ऊपर बहुत लड़े, balance-sheet के ऊपर भी बहुत लड़े। आप कौन से item में set-off and set-on करते हैं, हम उसको जानना चाहते हैं। आप development plan के अंदर इस साल जो profit हुआ, उसमें से कितना पैसा वहां ले जाएंगे? इसकी वजह से आप 8.33 per cent bonus ही देंगे, 20 per cent or 25 per cent के ऊपर नहीं देंगे। You have made a provision for every deduction. किसी cooperative के पास से किसी ने पैसा लिया होगा, तो आप उसका deduction तन्ख्वाह में से कर लेंगे। यह कैसा Bill draft हुआ है? आपने Inspector-com-Facilitator रखा। मेरी आपसे विनती है कि आप इनकम टैक्स के अंदर भी Inspector-com-Facilitator रखिए। आप वहां सिर्फ इंस्पेक्टर ही क्यों रखते हैं? Why are you diluting the powers of the inspector? सर, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, वह इस कानून के अंदर है, आप इस कानून के अंदर देख लीजिए। मुझे पता है। उसे पढ़कर मैं आपको बता रहा हूं और उसकी वजह से मैंने कितने अमेंडमेंट्स भी डाले हैं। आप उसको फाइन करेंगे। अगर वह कुछ भी काम पर्सनल बोले, तो 3% के हिसाब से 15,000 का 450 रुपये फाइन हुआ। आप 50% तक deduction कर सकते हैं, ऐसा आपने उसके अंदर लिखा है। वह क्या खाएगा? आप उसे घटाते क्यों नहीं हो। आपको deduction के पूरे मापदंड मिले हैं। आप मज़दूरों के लिए कितना पैसा उनकी जेब के अंदर, पे पैकेज के अंदर ले जाने का प्रावधान कर रहे हो? उसका उनकी फैमिली के ऊपर क्या असर होगा? उनके बच्चों की पढ़ाई के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनकी जरूरत पूरी करने के ऊपर क्या असर पड़ेगा? उस मकान में जहां पर वे रहते हैं, झोंपड़ियों में रहते हैं, चाल में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। सर, मिनिमम वेजेज़ वालों के पक्के मकान नहीं होते हैं, बहुत ही कम मिनिमम वेजेज़ वालों के पक्के मकान होते हैं। मिनिस्टर साहब, हमें यह लगता है कि आप और आपकी सरकार मिनिमम वेजेज़ वालों के प्रति बिल्कुल भी serious नहीं हैं। आपकी मिनिमम वेजेज़ कोड और मिनिमम वेजेज़ ऐक्ट की definition में कोई चेंज नहीं है। आप इस कानून के तहत Payment of Wages Act भी रिपील करेंगे, Payment of Bonus Act भी रिपील करेंगे, Equal Remuneration Act को भी रिपील करेंगे। लेकिन आप assure क्या कर रहे हैं, whether the same implementation machinery आपकी उतनी होगी?

सर, मैं रात को बजट देख रहा था, तो इनके डिपार्टमेंट के अंदर 2,200 लोगों की कमी है। The strength of the Labour Department is less than 2,000 people. How would you edorse and implement this one की मिनिमम वेजेज़ सबको मिलेंगी? आप नेशनल मिनिमम वेजेज़ के fixation की बात कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर रीजनल मिनिमम वेजेज़ भी आएंगी, स्टेट की मिनिमम वेजेज़ भी आएंगी, ट्रेड की मिनिमम वेजेज़ भी आएंगी, तो उसके अंदर कौन-सी नेशनल मिनिमम वेजेज़ हुईं?

सर, मेरे हिसाब से अगर आप देखने जाओगे, तो इस कानून के अंदर सरकार के पास, मिनिस्टर साहब के पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, जिसकी वजह से In reality, they cam make that money available to the people who had put in eight hours work. नॉर्मल वर्किंग डे की डेफिनेशन में आपने आठ घंटे नहीं लिखे हैं, Not exceeding eight hours despite the fact that the committee has recommended it. You did not put it.

MR. CHAIRMAN : Thank you. You have two more speakers.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : I know it.

MR. CHAIRMAN : You know it, but others should know. That is the question. They should not question me.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : सर, बारह मिनट के लिए बोला था।...**(व्यवधान)**... मैं एक मिनट का समय और ले रहा हूं। आपने आठ घंटे की मज़दूरी के अंदर interval रखा, more than one interval, आठ घंटे के अंदर अगर आप चार घंटे में वापस बुलाएंगे, तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन दो-दो घंटे का होगा। आप उसके अंदर घंटों के हिसाब से मिनिमम वेजेज़ तय करोगे। यदि मैं आपके यहां एक घंटे के लिए कोई काम करने आता हूं, तो मेरी आधे दिन की मज़दूरी चली जाती है, कोई भी मुझे आधे दिन के लिए काम पर नहीं रखेगा। ये सब चीज़ें आपके कानून के अंदर नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने जो रूल्स बनाए हैं, उनके अंदर ये सब चीज़ें आप करेंगे। मैं तो भले ही आपको लिखूं, किसी ने आर्टिकल भी लिखा है I am really disapointed, Mr. Minister, with this Code on the Wages Bill. It does not assure that the poor who had worked or the labourer who had worked, he got his minimum wages. It assures millions of labourers that they will be getting the real and minimum wages in reality, and their wages will be protected as such, and that you have provided an effective mechanism to see to it that those who violate, they will be punished. Why don' t you make the inspector, like the Forest Conservation Act responsible, that if he is given that area, and if there is any violation, he personally will be responsible? हम Forest Department के सामने केस फाइज नहीं कर सकते हैं। हमें मिनिमम वेजेज़ के अंदर मंज़ूरी नहीं मिलती है, despite the poet कि मिनिमम वेजेज़ कम दी जाती हैं। पी.डब्ल्यू.डी. के ऑफिसर के ऊपर हम केस फाइल नहीं कर सकते हैं। You have protected them under this Act. Why is it so?

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

सर, जो इतने सालों की चीज़ें हैं, उससे दिल जलता है, और कुछ नहीं है। हम यहां किसके लिए आते हैं? क्या आप लेकर आए हैं, क्या आप दे रहे हैं- आप तो हौवा खड़ा कर रहे हैं। It is very unfortunate, that we have missed this opportunity to improve the lives of millions and millions of people of the country who are living in sub-human conditions. I hope that, some day, their economic conditions will improve. This legislation doesn' t provide that opportunity. It is unfortunate and I am sorry to say this, Sir. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members may have doubt as to why I have allowed him to continue. His party still has time. Others may not get. You should know the fact. It the speaker is taking time and the party is silent, that means they are accepting it. That is it.

श्री भूपेन्द्र यादव (राजस्थान) : माननीय सभापति महोदय, मज़दूरी संहिता का यह जो विधेयक सरकार के द्वारा लाया गया है, यह देश का एक बहुत बड़ा सुधार का कार्यक्रम है। वास्तव में इसकी जो पहली रिपोर्ट थी, वह 2002 में आयी थी।

(**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए)*

अभी मधुसूदन जी अपनी बात कह रहे थे- 2002 के बाद 10 साल तक आपकी सरकार रही लेकिन उसने कुछ करने का काम नहीं किया। वास्तविकता में होना तो यह चाहिए था कि उस पर आगे बढ़कर जो त्रिपक्षीय समितियां थीं, जो विभिन्न associations थीं, जो मज़दूर संघ थे, उन्हें बुलाकर बात करते, लेकिन आपके द्वारा उनके साथ कोई बात नहीं की गयी। मैं हमारे मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पिछले दो सालों में इसके सभी पक्षकारों के साथ लगातार बीतचीत की और जो बहुप्रतीक्षित कानून आना था, आज उस कानून को लाकर देश के मज़दूर वर्ग के लिए बहुत बड़ा भलाई का काम किया है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री टी.के. रंगराजन)** *पीठासीन हुए*]

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रमुख रूप से इस कानून में जो 10 बड़े सुधार के कार्यक्रम किए गए हैं, उन्हें देश के मज़दूरों की स्थिति में समझना आवश्यक है। देश में मज़दूरों की मज़दूरी में जो सबसे पहला discrimination होता है, वह महिलाओं के साथ होता है। जो पुरुष मज़दूर होते हैं, कई बार उनका वेतन ज्यादा होता है- महिलाएं काम भी करती हैं, लेकिन उन्हें मज़दूरी कम मिलती है। इस एक्ट से न केवल उस gender discrimination को रोका गया है, महिलाओं का सबसे बड़ा विषय है कि जो निर्णय लेने वाली बॉडी है, उस निर्णय लेने वाली बॉडी में उनका स्थान है या नहीं है- इस एक्ट ने यह तय किया है कि पुरुष और स्त्री की न केवल मज़दूरी बराबर होगी, बल्कि जो Advisory Board बनाया जाएगा, उसमें भी एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी, ताकि भविष्य में मज़दूरों में भेदभाव का काम न हो। यह सुधार का पहला कार्यक्रम है।

4.00 P.M.

दूसरा, मधुसूदन जी सही कह रहे थे, वे अभी चले गए हैं, कि इस देश में minimum wages में सुधार नहीं होता है। Minimum wages वाली जो लेबर है, वह लम्बे समय तक उस लड़ाई को लड़ती है, लेकिन हमने इस कानून के द्वारा पहली बार देश में यह तय किया है कि minimum wages का जो review है, वह compulsory पांच साल में होगा, जिससे इस देश के मज़दूरों को बड़ी राहत मिलने का काम हुआ है।

तीसरा, हमारे यहां पर मज़दूरी देने के लिए - माननीय उपसभाध्यक्ष आ गए हैं, वे भी लम्बे समय तक यूनियन में काम करते रहे हैं- जो सबसे बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ते थे, वह यह थी कि मज़दूरों को timely payment हो। सामान्यत: जो चारों कानून इसमें लगाए हैं, Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Payment of Bonus Act, Discrimination Act...

हर बार यह सोचते थे, एक नई एप्लिकेशन भरनी पड़ती थी, नया फॉरमेट भरना पड़ता था। हमारे देश में, मिनिमम वेजेज़ में वेजेज़ की 12 तरह की डेफिनेशन्स थीं। मिनिमम वेजेज़ की अलग थी और बाकी वेजेज़ की अलग थीं। इस कानून के द्वारा इन 12 डेफिनेशन्स को एक करके, इनकी एक डेफिनेशन करने का काम किया गया है। वेजेज़ का अर्थ वेतन, डीए और इनके अतिरिक्त जो चीज़ें आएंगी, चाहे उसका हाउस अलाउंस आएगा, चाहे उसको सुविधाएं आएंगी, चाहे उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस आएगा, चाहे उसको बोनस आएगा, उनको अलग करके, देश में मजदूरों की जो वेजेज़ की 12 डेफिनेशन्स थीं, उनको एक करके पूरे देश के मजदूरों के हित में सरलीकरण करने का काम, इस कानून के द्वारा किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि न केवल वेजेज़ की डेफिनेशन्स को एक करने का काम किया है, उनको सही समय पर, यूनिवर्सली एक सही समय पर पेमेंट हो जाए, उसको भी इस कानून के द्वारा मान्यता दी गई है। हम यह जानते हैं कि जयराम रमेश जी तो इस बात के बहुत अनुभवी भी हैं कि यह जो पर्ची से वेतन मिलता है, मनरेगा के समय में भी यह देखा गया था, बाद में कैग की रिपोर्ट भी आई थी, आपने उसको दूर करने का प्रयास भी किया था। यह पर्ची से जो वेतन मिलता है, सामान्यतया इसके कारण जो संस्थान हैं, वे डिजिटल पेमेंट देने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। हम यह जानते हैं कि बीच में जो कॉन्ट्रेक्टर भी रहते हैं, वे कई बार मजदूरों तक सही पेमेंट पहुंचाने की बात नहीं करते हैं। इस कानून में इसमें भी संशोधन करके, वेजेज़ और पेमेंट को डिजिटल माध्यम से, चैक के माध्यम से दिलवाने के लिए, इसमें नियम बनाकर और जो ये प्रावधान तय किए हैं, मुझे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा कदम है, जो देश के सभी मजदूरों के लिए लाभकारी होगा।

बोनस के विषय में भी लंबे समय तक जो अस्पष्टताएं थीं, उनको दूर करने का काम हमने अपनी इस मजदूर संहिता में किया है। सबसे बड़ी बात है कि सारे वेजेज़ के लिए जो मैंने पहले भी कहा था कि एडवाइज़री बोर्ड बनाया है, उस एडवाइज़री बोर्ड में हमने इस पूरे कानून को बनाते समय, जो त्रिपक्षीय वार्ता...मजदूरों के आंदोलन जब चलते हैं, जब उनके विषय चलते हैं,

[श्री भूपेन्द्र यादव]

जब हम उनको लागू करने की बात करते हैं, तो हम हमेशा इसी बात को मानते हैं कि मजदूरों के संबंध में जो भी निर्णय लिए जाएं, वे त्रिपक्षीय वार्ता के आधार पर लिए जाएं। उसमें employees को शामिल किया जाए, employer को शामिल किया जाए और मजदूर संगठनों को शामिल किया जाए, लेकिन इसमें जो एडवाइज़री बोर्ड बनाया है, उसमें पूरी tripartite बातचीत की व्यवस्था तो रखी है, लेकिन मैं पुन: दोहराना चाहूंगा, लेबर क्षेत्र का जो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जेंडर जस्टिस का है, उसको न्याय देने का काम इस मजदूर संहिता के अंतर्गत किया गया है। इसमें अभी वे कह रहे थे कि inspector-com-facilitator की बात आपने क्यों की है? क्योंकि अगर कहीं पर सही तरीके से मजदूरी नहीं मिल रही है, तो उसकी बात को कौन उठाएगा? उसकी बात को या तो मजदूर संघ उठाएंगे...क्योंकि उसकी इतनी ताकत नहीं होती है कि वह अपनी लड़ाई को लड़ सके। मुझे ध्यान है, जब हम पहले केस लड़ा करते थे और मजदूर संघ में काम करते थे, हम sctiion 2(a), Industrial Dispute Act में जाया करते थे, छोटे-छोटे मजदूरों की एप्लिकेशन्स को लेकर जाते थे और मिनिमम वेजेज़ एक्ट में तो मेरे अपने अनुभव हैं कि जब यूनियन के वर्कर्स के लिए हम जाते थे, तो तीसरी और चौथी तारीख पर वह आया ही नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था कि इस इंस्पेक्टर के पास जाकर, हम अपनी वेजेज़ की लड़ाई लड़ेंगे या कोई नई मजदूरी ढूंढेंगे। इसलिए इस बार यह बहुत अच्छा किया है कि इसकी क्लेम करने की जो समय-सीमा है, उसको भी बढ़ाकर तीन साल किया गया है। यह एक बड़ा विषय है, क्योंकि जब मजदूर की मजदूरी जाती है, तो सबसे पहले उसको रोजगार का एक दूसरा जरिया ढूंढना होता है, हालांकि पहले कार्यकाल में सरकार एक बहुत बड़ा सुधार लेकर आई थी। हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड के लिए एक ही नम्बर तय किया था। उससे पहले यह होता था, प्रोविडेंट फंड का एक नम्बर तय नहीं करने से यह होता था कि एक कम्पनी में नौकरी करता था, फिर दूसरी कम्पनी में जाता था, तो पहले प्रोविडेंट फंड का क्लेम नहीं कर सकता था। अब उसका एक परमानेंट नम्बर होने के कारण, वह कहीं भी रोजगार के लिए जाएगा, लेकिन क्लेम की जो तीन साल की समय-सीमा तय की गई है, मुझे लगता है कि यह मजदूरों के हित में बहुत अच्छा कानून लाया गया है। इसके साथ ही साथ, इसकी जो पहली सुनवाई का अधिकार दिया है, मंत्री जी, मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस विषय पर काफी गंभीरता के साथ विचार किया, हमारी कभी आपसे अनौपचारिक चर्चा हुई, तो भी मुझे लगा कि संतोष कुमार गंगवार जी के पीछे जो बहुत बड़ी ताकत है, वह यह है कि वे हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और बहुत व्यावहारिक सुझावों को लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। जब उन्होंने यह तय किया और यह मुझे बाद में ध्यान आया कि इसकी जो सुनवाई है, वह गजेटेड ऑफिसर से सुनवाई है, क्योंकि हम मजदूरों को सही समय पर न्याय देना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि ज्युडिशियल प्रोसीज़र की जो परम्परागत चीज़ें हैं, उनसे बाहर हटें। सामान्य रूप से, अगर बातचीत के माध्यम से, सहमति के माध्यम से मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है और गजेटेड ऑफिसर के द्वारा लिख दिया जाएगा, तो भविष्य में अपील करने के लिए भी यह उसके लिए बहुत बड़ा आधार होगा। इस बिल में जो सुनवाई की गजेटेड ऑफिसर को ताकत दी है, मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा कदम है। इस कानून में जो दस बड़े कदम उठाए गए हैं, उनमें से यह एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ

ही साथ, मैं इस बात के लिए भी बधाई देना चाहूंगा कि संसद की स्थायी समिति ने जो 43 सिफारिशें की हैं, उनमें 12 से अधिक सिफारिशों को पूरी तरह से माना गया है, कुछ सिफारिशें न्यूट्रल थीं और बाद में एक नोट भी जारी किया है कि उन सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने के पीछे कारण क्या हैं। मुख्यत: एक बात यह भी आई थी कि वर्कर्स और एम्प्लॉई, इसकी एक अथॉरिटी तय करो, लेकिन कार्य भिन्न है, दोनों की लड़ने की ताकत में अंतर है, इसलिए इस मजदूर संहिता में जो मजदूरों के हितों की बात की गई है, मुझे लगता है कि यह देश में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है।

महोदय, इस कानून के संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसकी देश में एक लम्बे समय से आवश्यकता थी और आने वाले समय में और भी लेबर कोर्ट के लिए कार्य करने का, बातचीत करने का जो विषय चल रहा है कि चार कानूनों का एकीकरण करके, 12 डेफिनेशन्स को समाप्त करके, यह एक कानून बनाया गया है। सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी को तय किया गया है, कोई भी राज्य मिनिमम वेजेज़ से कम वेजेज़ किसी को नहीं दे सकेगा। इसके साथ ही साथ समयबद्ध भुगतान और वेजेज़ के क्लेम की सीमा को बढ़ाया गया है। हम जानते हैं कि हमारे देश में अभी जो कानून हैं, उनमें सबसे ज्यादा लेबर कानून में सुधार की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने एक बहुत बड़े स्तर पर, जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सभी वर्गों के लिए व्यापक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं शुरू की हैं, इसीलिए यह वेजेज़ एक्ट देश के 45 करोड़ मजदूरों के हित में है, चाहे वे संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक नये जीवन के समान होगा। इसीलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए यह कहना चाहूंगा कि मजदूर क्षेत्र में काफी ज्यादा काम करने वाले एक बड़े विचारक डा. दंतोपंत ठेगड़ी जी यह कहा करते थे और उस समय मजदूर क्षेत्र में नारे लगा करते थे, "चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो।" उसके बाद डा. दंतोपंत ठेगड़ी जी ने इस देश में मजदूर क्षेत्र को एक नई परिभाषा दी, उन्होंने कहा, "हम करेंगे पूरे काम, काम के लेंगे पूरे दाम।" मुझे ऐसा लगता है कि उनके इस विचार से, इस देश के मजदूरों में एक नए वर्ग और एक नई चेतना के भाव का निर्माण हुआ। उसका परिणाम था और मैं हमेशा यह कहता था कि हमने जो इंडस्ट्री क्षेत्र में एक्ट लिखा था- हमने उसका नाम ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट रखा। मुझे लगता है कि यह सरकार बहुत अच्छा करने जा रही है और उसका नाम बदलकर इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट करने जा रही है, अगर ऐसा होता है, तो देश में केवल टाइटल के द्वारा ही, हमारी मानसिकता में परिवर्तन करने का काम किया है। महोदय, लेकिन जब हमने इस विषय में कहा कि-

"हम करेंगे पूरा काम और काम के लेंगे पूरे दाम।"

तो उसके लिए सुरक्षित वातावरण देना, उसके लिए पारदर्शी व्यवस्था खड़ी करना, उसके न्याय के निस्तारण के लिए सही tribunal और सही authority का निर्माण करना, उसमें किसी भी प्रकार के discrimination को समाप्त करना, इस देश के हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से, सही तरीके से और समयबद्ध सीमा में वेतन का भुगतान करने की व्यवस्था करना भी आवश्यक है, जिसके लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

[श्री भूपेन्द्र यादव]

महोदय, इसे करने के लिए, देश के चाहे किसी भी विचारधारा के मानने वाले मजदूर संगठन हों, आज उनकी सहमति के माध्यम से, उन सबके साथ विचार करके और इस देश के सभी पक्षों के साथ विचार करके, यह जो मजदूर संहिता आई है, मेरा मानना है कि यह देश के आने वाले समय में एक बहुत बड़ा और आधारभूत reform है। इस reform को देश के सभी मजदूरों के हितों में एकजुट होकर के इसे पास करके देश के मजदूर, जो लम्बे समय से न्याय का रास्ता देख रहे थे, उन्हें न्याय देने का काम करें और इस मजदूरी संहिता या wages act को एकमत होकर, पास करके देश के मजदूर क्षेत्र में सुरक्षा और विश्वास के वातावरण का निर्माण करें, धन्यवाद।

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि संसदीय स्थायी समिति ने कुल 24 सिफारिशें की थीं, जिनमें से सरकार ने 17 सिफारिशें स्वीकार की हैं।...(**व्यवधान**)...

SHRI BHUPENDER YADAV: Thank you, Mr. Minister, for correcting me. I stand corrected. Mr. Vice-Chairman, Sir, my record may please be corrected. There were twenty-four recommendations made by the Standing Committee, out of which seventeen recommendations have been accepted by the Government.

MS. DOLA SEN (West Bengal) : Mr. Vice-Chairman, Sir, this Government has earned a track record of passing Bills in haste. In this Session too, most of the Bills are being passed without parliamentary scrutiny. The Opposition urges upon the Government to refer the Bills to Standing Committees. …*(Interruptions)*…

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदया, इस बिल पर तो लगभग एक साल तक Standing Committee में विचार होता रहा था।

MS. DOLA SEN: I am coming to that, Sir. …*(Interruptions)*… I am coming to that. But on the Code on Wages Bill, 2019, the Standing Committee gave its report and suggested certain recommendations, out of which, seventeen recommendations have been incorporated by the Government. This is comparatively a better example of how Bills should be passed after proper scrutiny, and not in a hurry, like other Bills. …*(Interruptions)*… However, there are still certain gaps in this Bill also. I am coming to that. The Government has to follow the proper system, and should not adopt a hasty approach in passing Bills. Parliament always scrutinizes about 60 to 70 per cent of the Bills. During the last Government, this number was down to 26 per cent. And, in this Session, only 10 per cent of the Bills have been scrutinized.

Sir, in this phase of long discussions at the Standing Committees' level, as I was in the Parliamentary Standing Committee on Labour, we heard and incorporated suggestions from the Central Trade Union representatives, that is, the employees' representatives; from Chambers, as employers' representatives; from civil society experts and academicians also. Some recommendations of the Standing Committee, included in the Bill, are, the Central or the State Government must revise minimum wages at an interval not exceeding five years. And, before fixing the floor wage, the Central Government may obtain the advice of the Central Advisory Board and must consult with State Governments. If an employer has made deductions, but has not deposited them in any trust or in the Government funds, like the Provident Fund, ESI, etc., the employee will not be held responsible.

Sir, there are certain gaps in the Code on Wages Bill, 2019. The Bill has two separate definitions for 'employees' and 'workers', which could cause confusion and lead to exploitation by unscrupulous employers. The Parliamentary Standing Committee had recommended that a single comprehensive definition should have been inserted for both, leaving no scope for confusion. The definition must be definite as to who are the traditional workers.

Then, it has been argued by the Standing Committee that the structure of remuneration, as reflected in the Bill, does not reflect the current salary structure used by most of the private sector firms. I am sorry, there are some mismatches in the Government sector also.

There is also discrimination on the basis of gender. The Equal Remuneration Act, 1976, prohibits gender discrimination not only in the matter of wages, but also in hiring. The Bill dilutes this provision. Now I come to payment of wages. This Bill stipulates that an establishment may be notified to pay all wages digitally, or, be transferred to an employee's bank account. But, today's reality is, cash payment is also essential in tea garden areas, jute mill areas, etc. In the political campaign, you may say, 'equal pay for equal work'. But, in reality, there is a difference. Moreover, till date, the Central minimum wage, according to the Government Gazette notification, is more or less ₹ 600. At State level, it is ₹ 300. But, as per your last Cabinet recommendation, which you also referred to, it is to be reduced to about ₹176. We have come to know this from media and also the circular, whichever it is. With due respects, do you think that working people are fool? I have some more suggestions. The formula for fixing the minimum wages is kept out of the Bill. The proposed Bill on Wages has denied the

[Ms. Dola Sen]

agreed formula of wage calculation as per the 15th Indian labour Conference, and add on 25 per cent as directed by the Supreme Court Judgement in M/s. Raptakos case, which was repeatedly and unanimously accepted by the 45th and 46th Indian Labour Conferences. This is one of the major drawbacks in this Bill. As per Clause 13 of the Bill, the appropriate Government may fix the number of hours for a normal working day. At present, the minimum working hours are eight. This Clause has to be revisited in view of the constitutional values of our country. Working hours should not be beyond eight hours a day. A phrase ' not exceeding eight hours per day' should be added in the relevant Section. It is very important. I urge upon you, through your good offices, to incorporate these and to look into these. Wage-related abuses are intimately linked to serious human rights abuses. The proposed Code on Wages Bill, 2019, shifts from criminal liability to civil liability, in matters pertaining to wages, payment of wages and payment of bonuses. We must remember that Right to Life is our mandatory right, according to our Constitution. Without wages, how will the Right to Life be restored? Bonus is an added wage or deferred wage. I think we are not considering the bonus component in true sense in this Bill. That should be clear according to the law of the land. There is one more important point in this respect. The PF and the ESI Board has, on an average,–you will be astonished to hear this –more than ₹ 70,000 or ₹ 80,000 crores corpus fund. The Centre is planning to invest this corpus fund in share market. But, the workers of the closed industries do not get PF and ESI benefits. I urge upon you to look into this also. Overall, there is a huge gap in the subjective wish written over here and the mere objective reality. What is going on all over is known to everybody, as I am involved with the trade union sector for the last 25 years. I hope for the best so that we sincerely recover the gap. For example, in the BSNL, over lakhs of contractual employees have not been getting their salaries for the last six to seven months. But their duties are going on. The contractor.s contracts are also through the BSNL management. But the Government is trying to bypass the matter stating that it is not their default. I am sorry, but you have also to look into this. I think that the main problem lies in implementation. What measures should be taken is absent in this Bill. I would like to know whether you have any concrete suggestions that will help us and whether there is any monitoring, especially, the inspector regime. There is the Minimum Wages Act since 1948. Now we are going to establish Code on Wages Bill, 2019. I would like to humbly know whether a Code can repeal a law of such a long period. According to the Minimum Wages Act, 1948, the Central Government has

published Gazette Notification for six to seven scheduled employments only for the last 70 years on an average, whereas, in our State of Bangla, our State Government, led by respected Mamata Banerjee, has already published Minimum Wage Gazette Notification in State level on 29th September, 2011 for 63 schedule employments with 2700 calories intake per day per worker according to World Health Organization, WHO, guidelines. Sir, in the earlier era, the West Bengal, led by CPI(M) —I am begging your pardon, Sir, —had, in this respect, a huge gap of 33 years from 1978 to 2011. The Central Government should follow Bangla model in this respect also.

There is one more very important issue. We prefer tripartite conciliation instead of bipartite because, conventionally, in bipartite settlement, there is a chance to be a middleman on trade union part but in tripartite settlement, trade union leaders have to be good catalyst. Moreover, we are considering Government as an important stakeholder, and in front of Government conciliation officer, there is no question of taking undue advantage or giving undue pressure on any side and also Government' s presence assures no violation in industrial law and labour law as well. Sir, the tripartite agreement should be done amicably. And specifically, if the Central Government also publish Government Gazette Notification for, at least, 50-60 schedule employments, then the tripartite discussion also should be time-bound and up to the mark with that Gazette Notification. According to the law of the land, the contractual employees are the responsibilities of the principal employer. Contractors may be changed thousand times but the principal employer and the contractual employees remain unchanged. That is why, in case of minimum wage according to the Government Gazette Notification, P.F., Pension, ESI, Gratuity, Bonus, Leave, perennial nature of job, thirty days' payment with 26 days' of work, etc., in all the statutory rights of contractual workers, the Government calls upon the principal employer along with contractor in tripartite discussion because it is the mandatory responsibility of the principal employer only to comply with the law of the land. ...*(Time-Bell-rings)*... Please, Sir. One-two minutes, please.

This Code on Wages Bill must be applicable to both the organized and unorganized workers as well. At the time of implementation of this Code on Wages Bill, 2019 to settle the minimum wages in Central level also and mandatorily in State level, concerned State Government should be concerned in true sense.

Sir, I will conclude by saying that I would like the Government to take notice of these points and ensure a holistic legislation. I would like the companies to always keep in mind the welfare of the labour and their employees in all they do. ...*(Time-bell-rings)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Please conclude.

MS. DOLA SEN: I am concluding, Sir. Please, Sir.

If your labour and employees are happy, if you consider them as human-being with dignity, you will be a successful company. And, on the other hand, I feel that the workers and the trade unions must understand and announce, ' Save the industry, save the worker.' "शिल्प बचाओ, श्रमिक बचाओ।" In this way, their role should be acknowledged as constructive and responsible.

In the last, the role of the Government be considered as an important stakeholder, and that will give industrial peace and harmony all over.

अंत में, मैं मजदूरों की बात से अपनी बात खत्म करूंगी। वह यह है कि मजदूर चाहें तो अपना भाग्य बदल सकते हैं, मजदूर चाहें तो फिर यह दुनिया बदल सकते हैं। इतनी हिम्मत है मजदूरों की। उठाओ नारा। वंदे मातरम्।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे 'मजदूरी संहिता, 2019' पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो 32 श्रम कानून हैं, माननीय मंत्री जी ने उनको चार कोर्ट्स में रखने का काम किया है। इसमें हमारी कुछ शंकाएं हैं। इसकी धारा 42 में उन्होंने कहा है कि सदस्यों के रूप में स्वतंत्र व्यक्तियों को रखने का प्रस्ताव है, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि ये स्वतंत्र व्यक्ति कौन हो सकते हैं? हालांकि यह राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे, लेकिन योग्यता का इसमें कोई ब्यौरा नहीं है। ऐसा लगता है कि राज्य जिसे चाहे, इस पद के लिए योग्य मान सकता है।

मान्यवर, जो काम करने वाले मज़दूर हैं, उनके ऊपर ठेकेदार आ जाते हैं। बड़े-बड़े जो ठेकेदार हैं और इन ठेकेदारों के जो माफिया हैं, वे इसके मनोनीत सदस्य हो जाएंगे। आज जिस पार्लियामेंट में हम बैठे हुए हैं, यह भी मज़दूरों की ही देन है, इसे मज़दूरों ने बनाया है। दुनिया में जितनी भी इमारतें या निर्माण कार्य आप देख रहे हैं, उनको मज़दूरों ने ही बना कर खड़ा किया है। हम लोग आज उन्हीं मज़दूरों के minimum wages पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, बाज़ार में आज मज़दूरी के क्या रेट्स हैं, यह आप सब जानते हैं और महंगाई कहां पहुंच गई है, यह भी आप सब जानते हैं। इतनी कम मज़दूरी में वह बच्चों की पढ़ाई, लिखाई, दवाई, सुरक्षा का प्रबंध कैसे करता होगा? हम बुंदेलखंड से आते हैं। चूंकि बुंदेलखंड में घाटे की खेती हो रही है, किसान भी वहां मज़दूर के रूप में, ईंटा-भट्ठी में काम करने जा रहा है या ईंट, गारा उठाने किसी बड़े शहर में जा रहा है। पढ़े-लिखे नौजवानों को भी इस तरह के काम करने पड़ रहे हैं। आज 18 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोज़गार हैं। जब हम ट्रेनों में जाते हैं, तो जो ब्रेडरोल्स बेचने वाले होते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने पैसे मिलते हैं? उसने बताया कि अगर आपने ठेकेदार से शिकायत कर दी तो वह मुझे काम से हटा देगा।

मंत्री जी, ये सब परेशानियां उनके साथ हैं। आज सरकारी नौकरियां कम होती जा रही हैं, संविदा पर नौकरियां हो रही हैं। पढ़े-लिखे जो लोग हैं, जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको अकुशल

मजदूरों की श्रेणी में ढकेला जा रहा है और पर्याप्त मजदूरी उनको नहीं मिल रही है। ठेकेदार तय करता है कि आपको हम इतने रुपए महीने पर रखेंगे और छुट्टी का पैसा नहीं देंगे। अगर वह ठेकेदार पैसा काटता है, उसका शोषण करता है, तो उसके दंड के लिए इसमें व्यवस्था कहां है? आप उसके लिए क्या करेंगे? मैं वापी गया था। गुजरात में, सूरत में, सब जगह ठेकेदार हैं, बेंगलुरु में भी मजदूरों के ठेकेदार हैं, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं। वे कंपनियों से ज्यादा पैसा लेते हैं और उनको आधा पैसा देते हैं, इस तरह उनका शोषण करते हैं, लेकिन ये सारी बातें इसमें नहीं हैं।

मान्यवर, जो महंगाई है, जो बाजार रेट्स हैं, हम तो कहेंगे कि उसको आप विश्व स्तर पर देखिए। आप देखिए कि क्या मजदूर और किसान अच्छे मकान में रहते हैं? क्या उनका सम्मान होता है? आज जब अपनी सोच को आप विश्व स्तर का बना रहे हैं, तो मजदूरों की मजदूरी भी विश्व स्तर पर ही बढ़ानी चाहिए। इसके साथ-साथ पूरे देश में इसको लेकर एकरूपता रहनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि स्टेट के आधार पर आप मज़दूरी अलग-अलग रख रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें महिला-पुरुष का भेदभाव होता है। महिलाओं को कम पैसा मिलता है, पुरुषों को ज्यादा पैसा मिलता है। इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, होटल में काम करने वाले, ढाबे में काम करने वाले या घर में काम करने वाले ऐसे तमाम मज़दूरों के बारे में आपने अपने भाषण में चर्चा की है। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि हमारे देश में आज अगर कोई मजदूर किसी के घर का काम करने के लिए जाता है, तो लोग उसके यह नहीं पूछते हैं कि कौन सा काम करना है, सबसे पहले उससे यह पूछा जाता है कि तुम किस जाति के हो, कौन से धर्म के हो? घरों में काम करने वालों से जाति-धर्म की बात पूछी जाती है। क्या इसके लिए आपके एक्ट में कोई प्रावधान है ताकि उससे जाति-धर्म न पूछा जाए? अगर वह दलित है, अल्पसंख्यक है, तो उसको काम में नहीं लिया जाता है और कह दिया जाता है कि हमारे यहां दलितों का काम नहीं है, हम दलित का छुआ हुआ खाना नहीं खा सकते हैं, हम उसको सफाई में नहीं रख सकते हैं, अपने किचन में नहीं रख सकते हैं। महोदय, ये सारी चीजें हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, इतने कड़े कानून होने के बाद आप बताइए कि क्या आज तक आप child labour को खत्म कर पाए हैं? यह अभी भी खत्म नहीं हुई है। आप चाहे जिस ढाबे में चले जाइए या जिन घरों में चले जाइए। यहां माननीय सदस्य बैठे हैं। मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा। सबके घरों में चेकिंग करा लीजिए। आप जाकर देखिए। तमाम जगहरों पर child labour काम कर रही है। इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। जो मजदूर पूरे परिवार सहित माइग्रेट करता है, यह हमारे बुंदेलखंड की सबसे ज्यादा समस्या है, तो उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उन सबके साथ काम में शोषण और अत्याचार होता है। उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? उनकी चिकित्सा के लिए क्या इंतजाम है? उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए क्या इंतजाम है? जो भट्ठा मजदूर उन्हें ले जाता है और यदि जंगल में, खेत में भट्ठा है, तो वहां पर न तो पढ़ाई का इंतजाम है, न तो चिकित्सा का कोई इंतजाम है और न ही युवाओं की सुरक्षा का इंतजाम है। वहां उनके साथ अन्याय, अत्याचार और शोषण होता है।

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

मान्यवर, इतना ही नहीं, आज आप बाजार में चले जाइए, तो आप पायेंगे कि जो जोखिम भरे काम हैं, उनकी मजदूरी अलग है। आपने जो चर्चा की, जो आपने कहा, तो मैंने उसमें देखा, जैसे भट्ठा मजदूर, खेतिहर मजदूर, गटर-नाले साफ करने वाले, सीवर साफ करने वाले, घरेलू मजदूर हैं, तो आज तमाम कानून बने होने के बावजूद सरकार गटर-नाले साफ करने वाली मशीनें नहीं ला पायी और आज मौतें हो रही हैं, मजदूर मर रहे हैं, जबरदस्ती। पूरे देश में सब जगह बाढ़ है, बाढ़ आ गयी है, तो बाढ़ में जब कोई मृत्यु होती है, कोई कैजुअल्टी होती है, तो वहां पर पुलिस जाती है और किसी मजदूर को जबरदस्ती पकड़ कर, उसको शराब पिला कर कहती हैं कि जाओ, उस लाश को उठा कर के लाओ। कुएं में अगर कोई गिर गया, तो उसको निकाल कर लाओ। तो ऐसे जोखिम भरे कामों में मजदूरों की सुरक्षा के लिए आपने इसमें क्या इंतजाम किया है? माननीय मंत्री जी, अक्सर हम लोगों ने देखा है, मुझे व्यावहारिक बात पता है कि कोई भी मालिक हो, चाहे वह बिल्डर हो, सड़क बनाने वाला हो, पुल बनाने वाला हो या ठेकेदार हो, अगर उसको घाटा हो जाता है, तो वह मजदूर का पैसा दबा कर रखता है। जब सड़क-पुल बनाने वाले ठेकेदार को या बिल्डर को घाटा हो गया, तो वह बिल्डर का घाटा नहीं होता है, वह लेबर का घाटा होता है, क्योंकि उसका सारा पैसा मारा जाता है। क्या आपके बिल में इसका कहीं इंतजाम है? इसमें कुछ देखने की जरूरत है।

हम देखते हैं कि हमारा देश समुद्र से घिरा हुआ है। जो समुद्री मछुआरे हैं, पूरे देश से मछुआरे जाते हैं, उनको मछलियों का शिकार करने के लिए ले जाया जाता है, उनको जबरिया ले जाया जाता है और जो समुद्री लुटेरे होते हैं, वे उनको पकड़ कर ले जाते हैं। तमिलनाडु, गुजरात के ओखा क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के मजदूरों को पकड़ कर ले गये। उनका मर्डर हो जाता है। उनके जीवन के बारे में, ऐसे मजदूरों की सुरक्षा के बारे में, आपका क्या इंतजाम है कि ऐसे मजदूरों को जो ले जाते हैं, उनको जोखिम भरे कामों के लिए ले जाते हैं और उनको जबरदस्ती पकड़ कर काल के गाल में भेज देते हैं? पाकिस्तान के कराची की जेल में आज बहुत से ऐसे लोग बन्द हैं। तो इन मजदूरों के बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, इतना ही नहीं, आज आपने इसमें तो तय कर दिया, लेकिन आपने मनरेगा का क्या किया? क्या मनरेगा में मजदूर अलग है? मनरेगा भी तो इसी में आ रहा है। मनरेगा को भी इसी पर लाइए और मनरेगा की मजदूरी भी इसी आधार पर आप फिक्स करिए। उसमें आप 182 रुपये देंगे। उसमें एकरूपता लाने का काम करिए। ये कुछ बातें हैं।

माननीय मंत्री जी, इसके अलावा मैं यह बताना चाहूंगा कि देश की केन्द्रीय सेवाओं एवं राज्य की सेवाओं में समान कार्य के लिए अलग-अलग मानदेय दिया जा रहा है। इसमें एकरूपता होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि नौकरियां कम हो रही हैं। बच्चे पढ़-लिख कर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, IAS, PCS बनने के लिए परेशान हैं, लेकिन एक नया कानून आ गया है कि विशेषज्ञों के नाम पर, बिना उसके, Joint Secretary के रूप में भर्ती हो गई। 9-9, 10-10 लोग भर्ती हो गये और बताते हैं कि 200 विशेषज्ञ और भर्ती होने वाले हैं। तो लाखों-

करोड़ों बच्चे, जो PCS की तैयारी कर रहे हैं, पढ़-लिख रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? आज वे लोग मजदूरी करने के लिए विवश हैं, ईंट-गारे का काम करने के लिए विवश हैं। सरकार को उन लोगों के बारे में सोचकर उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इस बिल में आपने अनेक कानूनों को मर्ज किया है। जब इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया मर्ज हुई थी, उन दोनों संगठनों के कामगारों की समस्याओं को settle करने में 4-5 साल लग गए थे। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां सरकार कहती है- 'वन नेशन, वन इलेक्शन'...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री टी. के. रंगराजन) : आपके पास सिर्फ एक मिनट है। Please conclude...(**व्यवधान**)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह- 'Right to health', Right to Education', 'Right to Information' है, उसी तरह 'Right to Wages' भी होना चाहिए...(**व्यवधान**)... ताकि मजदूरों को पूरे देश में एक-समान मजदूरी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वे चर्चा का उत्तर दें तो मेरे सुझावों पर विचार करते हुए, पूरे देश के मजदूरों के हित में, इस बिल में कुछ संशोधन करें, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Next is Shrimati Vijila Sathyananth. You have five minutes.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: Yes, Sir. I know because we have another speaker.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, I rise to support this Bill. As the hon. Minister for Labour and Employment, Shri Santosh Kumar Gangwar, eight-time MP, we appreciate all his efforts and really, I wholeheartedly thank him for bringing a perfect Amendment, a wonderful Bill which will get into the needs of all the very poor labourers in the country. My first submission to the hon. Minister is to strictly implement this aspect in the Bill, that is, the minimum wages which differ from State to State. Actually, in North-India, like in Bihar, Jharkhand, the labourers migrate towards our State, Tamil Nadu and other Southern States only because the wages they get here are higher than the wages in the Northern States like Bihar and Jharkhand. Our per capita income, that is, the minimum that a person gets ₹ 500 to ₹ 600 every day. But, I know that minimum wage is fixed. The National Floor Level Minimum Wage is ₹ 176. The Tamil Nadu Government, to compensate with the present market wages, has started giving dearness allowances. The variations are met out with the dearness allowance. My first point is that the migration of labourers comes only because of the variations in the wages. So, it has to be uniformly fixed. I know that geographically we are different. In Delhi, a sanitary worker and a temporary contract worker gets

[Shrimati Vijila Sathyananth]

₹ 500 per day whereas the temporary sanitary workers get ₹ 359 in Tirunelveli. But, permanent employees, permanent workers get ₹ 1,000 to ₹ 2,200. But, they are doing the same work. So, all the companies should ensure that there should be a certain percentage of permanent workers because many companies take only contract labourers. This is so because they do not want to give any emoluments but they need to only give per day wages. But all the employers should comply with EPF, ESI, and so on and so forth. So, all the workers should be ensured under EPF, ESI, etc. The contract workers should be hired only for doing certain works. In tile industry, the fly ash industry, and many other MSMEs, they hire workers from North India. They bring contract labourers, and no permanent labourers. This practice should be curbed and permanent employees should be there in every company.

Then, I wanted to bring to the notice of this august House, and especially the hon. Minister should know this, the issue of bonded labourers. Bonded labourers are hired for a lump sum amount. They are taken from one place to another place. In textile industry, in tea plantations, workers are hired for a lump sum amount. About 50,000 or 60,000 of them are taken and they work for year long without any wages. Only a meager amount is given for their food. I would like to request the hon. Minister to take steps to eradicate the practice of bonded labourers from our society. The companies should hire only permanent employees and permanent workers, and even if they hire contract workers for some particular works, they should comply with all the rules and give them all the benefits which a common worker should get under the Labour Act.

I want the hon. Minister to kindly see that our beedi workers are taken care of. The Beedi Workers Welfare Fund is already there. Kindly keep them in mind and give them a permanent relief. The bonded labourers should not be encouraged in any way, especially in the field of garment industry. I know that this Code will also bring to light the problems of bonded labourers. Finally, I would like to say that all the companies should hire permanent workers. Thank you, Sir.

SHRI SASMIT PATRA (Odisha): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to speak on the Code on Wages, 2019. I welcome the Code. It is a much needed labour reform, and somewhere, many of the four laws, which have been integrated in this, required a certain amount of integration and this labour reform has been brought in by the hon. Minister. I welcome it. At the same point of time, Sir, through you, I would like to draw the attention of the hon. Minister to some of the provisos of this Code which, probably, require further scrutiny. Clause 9(1) of the Code says that the Central Government shall fix floor wage taking into account minimum living standards. Till now, we had a minimum wage that has always been set in this country, for the States

specifically. But now, we are bringing in a floor wage, and going by the media reports, the floor wage is going to be structured at ₹178. It is unverified, but, probably, it will be verified by the hon. Minister. Once we have a floor wage and then we talk about the minimum wage, there will be a temptation with certain States to stick closer to the floor wage rather than rise to minimum wage. Therefore, I hope the hon. Minister, in his reply, will clarify as to what is the mechanism for actually going about it and what is the need for having a floor wage instead of having a minimum wage. Clause 8(1) of this Code is about fixing or revising minimum rage of wages. It states, "In fixing minimum rates of wages for the first time or in revising minimum rates of wages under this Code, the appropriate Government shall either- (a) appoint as many committees as it considers necessary to hold enquiries and recommend in respect of such fixation or revision..." . Earlier, as we know there were certain conventions and rules which we used to follow. If you remember, there was a tripartite thing with the Indian ILC, as well as the hon. Supreme Court' s prescription in Workmen versus Reptakos Brett and Co. in 1992. But, Sir, now, with these new provisos coming into force, what will be the modality? Earlier, that calorie-based adaptation was brought in. Now, we are looking at a very different kind of a model. What is that model? What is that formula? Why has earlier model been discarded? I would like a clarification from the hon. Minister on this. Sir, in terms of Chapter III - Payment of Wages, I would like to draw your kind attention to Clause 17(2) where it has been mentioned, "where an employee has been - (i) removed or dismissed from service; or (ii) retrenched or has resigned from service, or became unemployed due to closure of the establishment, the wages payable to him shall be paid within two working days of his removal, dismissal, retrenchment or, as the case may be." Sir, have you heard about an establishment which is closed down, retrenched hundreds and thousands of workers and paid their wages in two working days? In letters, it sounds beautiful but in practice, can we actually adopt it? That is the bigger question, Sir. Monitoring is the key to success of this Code. In letter and spirit, we agree on it. But if someone resigns, somebody is retrenched, somebody is dismissed from service, within two working days, he will get his wages sounds nice but how will it be implemented is something which the time will tell?

Sir, now I come to Chapter VIII - Offences and Penalties. How are we going to enforce it? Look at Clause 54(1), and, its four sub-clauses (a), (b), (c), and, (d). It talks about specific fines and imprisonment. In terms of fines, it talks about ₹ 50,000 and imprisonment up to 3 months. Sub-clause (c) talks about the contravention and a fine of ₹ 20,000, and, sub-clause (d) in terms of repeated, it talks about imprisonment up to one month and a fine of ₹ 40,000. Sir, these are large corporations and bodies and we are proposing a fine of twenty thousand, forty thousand of fifty thousand! Sir, very honestly, I think, the Motor Vehicles Bill has stronger provisions and deterrence than

[Shrimati Vijila Sathyananth]

this Bill. There we are finding fines of ₹ 5,000 to ₹ 20,000, but, here in Chapter VIII, we are proposing fines of ₹ 20,000 or ₹ 50,000 on large corporations. How is it relevant, Sir?

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: Maximum fine of one lakh of rupees is also there.

SHRI SASMIT PATRA: I agree, Sir. That is already provided in Clause 54(1)(b). It says that in case of repetition within five years, the imprisonment may extend up to three months or one lakh fine. Sir, the Standing Committee talked about a fine of ten lakh rupees. These are large corporations, large bodies, and, they have thousands of crores of revenue, does a fine of ₹ 50,000 or even one lakh of rupees justify it?

Sir, in terms of Clause 54(2), I would like to talk about the offence of non-maintenance or improper maintenance of records. It says, "an employer shall be punishable with fine, which may extend to ten thousand rupees." I think, this is somewhere completely dissociated from reality. Sir, as you know, there are large contractors, who are called body shops, they take contract labour, migrant labour, nameless and faceless people, and, take them to the large companies, large industries where they work without social security. Sir, if tomorrow, something goes wrong with them due to an industrial problem or industrial accident and they lose something, at that point of time, they are completely cast away.

There is also fudging of these records. And, even if the fudging is found out, the law prescribed a maximum fine of ten thousand rupees. Is this enough, Sir?

Finally, I would like to speak about Chapter V - Advisory Body, which is the Central Advisory Body. Clause 42(1)(d) says, "five representatives of such State Governments, as may be nominated by the Central Government." Sir, we have 30 States, 7 Union Territories. When we are talking about five ' such' State Governments, who are these five State Governments? Are they on rotational basis? Are they nominated? Will they have a certain term? Are they agreeable to the Centre, which is why they are there? Are they not agreeable to the Centre, which is why they are there? Sir, Odisha has a huge requirement for labour and labour reforms as well. *(Time-bell)* and, if you see, over a period of time, despite the financial crunch, the hon. Chief Minister of Odisha has given unskilled workers - ₹ 280, semi-skilled - ₹ 320, skilled - ₹ 370, and, highly skilled - ₹ 430. Sir, we feel that States like Odisha and others need to be there on a rotational basis. *(Time-bell-rings)*

While concluding, I would just like to urge the hon. Minister to clarify these points in his reply because here, we are not talking about motor vehicles, here, we are not talking about companies, here, we are talking about people and when we are talking about people, we are talking about human resources, we are talking about lives. Migrant labour travels from State to State and lives in different States. Something happens to them, even their families do not know about that. When we are talking about lives, we are talking about people, we need to be empathetic. We hope that the hon. Minister will consider these suggestions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI T.K. RANGARAJAN): Thank you. You made good points.

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं, क्योंकि यह मजदूरों के हित का बिल है। हर किसी जाति और धर्म में यह कहा जाता है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है, यह केवल मजदूरी का कानून नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण की अवधारणा का एक सशक्त कदम है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहती हूं कि इस बिल को चार हिस्सों में बांटा गया है- न्यूनतम मजदूरी, बोनस, सामान्य मजदूरी और लैंगिक समानता। आपके बिल के खंड की टिप्पणी में यह कहा गया है कि विधेयक का खंड-तीन लिंग के आधार पर भेदभाव के प्रतिषेध का उपबंध करने के लिए है, जो यह भी प्रावधान करता है कि नियोक्ता मजदूरी के संबंध में लिंग के आधार पर कर्मचारियों से कोई भेदभाव नहीं करेगा और नियोक्ता किसी कर्मचारी की मजदूरी की दर को कम नहीं करेगा।

सर, झारखंड में घर बनाने में जो मिस्त्री काम करते हैं, जो कुली काम करते हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद औरतों की है। वे अपने सिर पर ईंटें ढोती हैं, बालू ढोती हैं और शाम को उनको मजदूरी मिलती है। जो काम पुरुष मजदूर किया करते थे, वही काम औरत भी किया करती थी, लेकिन उनको दी जाने वाली मजदूरी की राशि पुरुषों से कम होती थी। लेकिन, इस बिल के माध्यम से आपने औरतों को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर मजबूत करने का प्रयास किया है। हमने अभी झारखंड के रांची में देखा है कि वहां पर घर बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं, वे राज-मिस्त्री होते हैं, जो ईंट जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में, एक बहुत बड़ी तादाद में वहां रानी-मिस्त्री आ गई हैं। हमने लोगों से पूछा कि यह रानी-मिस्त्री क्या है? हमें बताया गया कि जिस तरह से राज-मिस्त्री ईंट जोड़ने का काम करती हैं, उसी तरह से रानी-मिस्त्री भी ईंट जोड़ने का काम करती हैं और इस बिल के माध्यम से यह प्रावधान हो जाएगा कि जो औरत और मर्द हैं, उनकी मजदूरी में अब कहीं भी भेदभाव नहीं होगा। यह बहुत ही अच्छी बात है।

माननीय मंत्री जी, आपके इस बिल में जो यह कहा गया है कि 10 कर्मचारी रखने वाले सभी प्रतिष्ठानों को अपने सभी कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र देने जरूरी हैं। इस कदम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को सभी वैधानिक सामाजिक-सुरक्षा लाभ मुहैया कराया जा सके। महोदय, हम यह कानून तो बना रहे हैं, लेकिन जो लोग कंपनियां चला रहे हैं और

[श्रीमती कहकशां परवीन]

मजदूरों से मजदूरी करवा रहे हैं, इसमें उनकी यह चालाकी होगी कि वे 10 मजदूर नहीं, बल्कि केवल आठ या आठ मजदूर दिखाकर अपना काम निकाल लेंगे। इस प्रकार, वे मजदूरों से मजदूरी

†**محترمہ کہکشاں پروین (بہار):** اپ سبھاادھیکش مہودے، میں اس بل کا سمرتھن کرنے کے لئے کھڑی ہوئ ہوں، کیوں کہ یہ مزدوروں کے ہت کا بل ہے۔ کسی بھی جاتی اور دھرم میں یہ کہا جاتا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینی چاہئے۔ مائنے منتری جی نے جو بل پیش کیا ہے، یہ صرف مزدوری کا قانون نہیں ہے، بلکہ سشکتی-کرن کی اودھارنا کا ایک سشکت قدم ہے۔ میں آپ کے مادھیم سے مائنے منتری جی کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس بل کو چار حصوں میں بانٹا گیا ہے – نیونتم مزدوری، بونس، عام مزدوری اور لینگک سمانتا۔ آپ کے بل کے کھنڈ کی ٹپّنی میں یہ کہا گیا ہے کہ ودھینک کا کھنڈ-تین لنگ کے آدھار پر بھید بھاؤ کے پرتیشید کا اپنبندھہ کرنے کے لئے ہے، جو یہ بھی پراودھان کرتا ہے کہ نیوکتہ مزدروی کے سمبندھہ میں لنگ کے آدھار پر کرمچاریوں سے کوئی بھید بھاؤ نہیں کرے گا اور نیوکتہ کسی کرمچاری کی مزدوری کی در کو کم نہیں کرے گا۔

سر، جھارکھنڈ میں گھر بنانے کے لئے جو مستری کام کرتے ہیں، جو قلی کا کام کرتے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد عورتوں کی ہے۔ وہ اپنے سر پر اینٹ ڈھوتی ہیں، بالو ڈھوتی ہیں اور شام کو ان کو مزدوری ملتی ہے۔ جو کام آدمی مزدور کیا کرتے تھے، وہی کام عورت بھی کیا کرتی تھی، لیکن ان کو دی جانے والی مزدوری کی رقم آدمیوں سے کم ہوتی تھی۔ لیکن، اس بل کے مادھیم سے آپ نے عورتوں کو سماجک اور آرتھک لیول پر مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے ابھی جھارکھنڈ کے رانچی میں دیکھا ہے کہ وہاں پر گھر بنانے والے جو مستری ہوتے ہیں، وہ راج مستری ہوتے ہیں، جو اینٹ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی سنخیہ میں، ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں رانی مستری آگئی ہیں۔ ہم لوگوں نے پوچھا کہ یہ رانی مستری کیا ہے؟ ہمیں

†Transliteration in Urdu script.

بتایا گیا ہے کہ جس طرح راج مستری اینٹیں جوڑے کا کام کرتے ہیں، اسی طرح رانی مستری بھی اینٹ جوڑنے کا کام کرتی ہیں اور اس بل کے مادھیم سے یہ پراودھان ہو جائے گا کہ جو عورت اور مرد ہیں، ان کی مزدوری میں اب کہیں بھی بھید بھاؤ نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔

مانّئے منتری جی، آپ کے اس بل میں جو یہ کہا گیا ہے کہ دس کرمچاری رکھنے والی سبھی پرتشٹھانوں کو اپنے سبھی کرمچاروں کو تقرری-خط دینے ضروری ہیں۔ اس قدم سے یہ یقینی کیا جا سکے گا کہ کرمچاریوں کو سبھی ویدھانک سماجک-سرکشا لابھ مہیا کرائے جا سکے۔ مہودے، ہم یہ قانون تو بنا رہے ہیں، لیکن جو لوگ کمپنیاں چلا رہے ہیں، اور مزدوروں کو کھٹوا رہے ہیں، اس میں ان کی یہ چالاکی ہوگی کہ وہ دس مزدور نہیں، بلکہ صرف سات یا آٹھ مزدور دکھا کر اپنا کام نکال لیں گے۔ اس طرح، وہ مزدوروں سے مزدوری کرتے رہیں گے اور اپنا فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اس لئے ہمیں اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔

श्री संतोष कुमार गंगवार : 10 नहीं, अगर एक भी रहेगा तो माना जाएगा।

श्रीमती कहकशां परवीन : बहुत-बहुत शुक्रिया।

महोदय, इसमें यह आपका सबसे अच्छा कदम है कि भौगोलिक स्थिति और काम की दुर्गमता के मुताबिक राज्य न्यूनतम वेतन तय करेगा और वह भी केन्द्र द्वारा स्थापित न्यूनतम जीवन-स्तर के आधार पर जो भी तय होगा, उससे कम नहीं होगा। अभी हमारी बहन विजिला जी कह रही थीं कि उनके इलाके में बिहार के लोग, झारखंड के लोग ज्यादा हैं, वे मेहनती होते हैं, इसलिए वे वहां जाते हैं। मेरे जेहन में एक बात आ रही है कि हमारे इलाके के बहुत सारे लोग हैं, जो बाहर काम की तलाश में नहीं जाते हैं बल्कि जो मजदूरी करता है, अगर वह अपने घर पर मजदूरी करेगा, तो उसको समाज में भी रहना है, वह समाज में यह नहीं कर पाता है। जैसा कि कहते हैं- *"भरा है पेट तो जग जगमगाता है और लगी है भूख तो ईमान भी डगमगाता है।"* शायद उनका ईमान न डगमगाए, इसलिए वे अपने शहर में मजदूरी न करके दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत बारीक बात पर आकृष्ट करना चाहती हूं कि वर्ष 2011 के सर्वेक्षण के आधार पर किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिलता है...जो हमारे मज़दूर बाहर चले गए हैं, लेकिन जब वे घर आते हैं...हर आदमी जब मज़दूरी करता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा एक पक्का मकान हो, दूसरा यह कि मेरे घर की औरतें पानी

[श्रीमती कहकशां परवीन]

भरने के लिए बाहर न जाएं और तीसरा यह कि हमारे घर की औरतें शौचालय के लिए बाहर न जाएं। वह इन सारी चीज़ों को करता है। सर, बी.पी.एल. सूची में उनका नाम न होने कारण उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। महोदय, आप कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि बहुत से ऐसे मज़दूर जो मज़दूरी का काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के हकदार हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिल पाता। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी और यह भी पूरा यक़ीन रखती हूं कि ये गरीबों के हित में सोचते हैं और सरकार का जो नारा है, 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास', मुझे लगता है कि इस नारे के साथ हमारे मज़दूरों का भी विकास पूरा होगा।

†**محترمہ کہکشاں پروین :** بہت بہت شکریہ۔

مہودے،اس میں یہ آپ کا سب سے اچھا قدم ہے کہ بھوگولک استتھی اور کام کی درگمتا کے مطابق راجیہ نیونتم-ویتن طے کرے گا اور وہ بھی کیندر کے ذریعے استھاپت نیونتم جیون-استر کے آدھار پر جو بھی طے ہوگا، اس سے کم نہیں ہوگا۔ ابھی ہماری بہن وجیلا جی کہہ رہی تھیں کہ ان کے علاقے میں بہار کے لوگ، جھارکھنڈ کے لوگ زیادہ ہیں، وہ محنتی ہوتے ہیں، اس لئے وہ وہاں جاتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ ہمارے علاقے کے بہت سارے لوگ ہیں، جو باہر کام کی تلاش میں نہیں جاتے ہیں، بلکہ جو مزدوری کرتا ہے، اگر وہ اپنے گھر پر مزدوری کرے گا، تو اس کو سماج میں بھی رہنا ہے، وہ سماج میں یہ نہیں کر پاتا ہے۔ جیسا کہ کہتے ہیں "بھرا ہے پیٹ تو جگ جگمگاتا ہے اور لگی ہے بھوک تو ایمان بھی ڈگمگاتا ہے"۔ شاید ان کا ایمان نہ ڈگمگائے، اس لئے وہ اپنے شہر میں مزدوری نہ کرکے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔

مہودے، میں آپ کا دھیان ایک بہت باریک بات پر آکرشت کرانا چاہتی ہوں کہ سال 2011 کے سرویکشن کے آدھار پر کسی بھی سرکاری یوجنا کا لابھہ ملتا ہے-- جو ہمارے مزدور باہر چلے گئے ہیں، لیکن جب وہ گھر آتے ہیں--- ہر آدمی جب مزدوری کرتا ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ایک پکّا مکان ہو، دوسرا یہ کہ میرے گھر کی عورتیں پانی بھرنے کے لئے باہر نہ جائیں اور تیسرا یہ کہ ہمارے گھر کی عورتیں شوچالئے کے لئے باہر نہ جائیں۔ وہ ان ساری چیزوں کو کرتا ہے۔ سر، بی-پی-ایل-

†Transliteration in Urdu script.

سوچی میں ان کا نام نہ ہونے کے کارن ان کو سرکاری یوجناؤں کا لابھ نہیں مل پاتا ہے۔ مہودے، آپ کرمچاریوں کے ہت میں کام کر رہے ہیں تو میں آپ سے انورودھ کروں گی کہ بہت سے ایسے مزدور جو مزدروی کا کام کرنے کے لئے باہر چلے جاتے ہیں، وہ سرکاری یوجناؤں کا لابھ لینے کے حقداد ہیں، لیکن انہیں ان کا حق نہیں مل پاتا۔ میں مانئے منتری جی سے انورودھ کروں گا اور یہ بھی پورا یقین رکھتی ہوں کہ وہ غریبوں کے ہت میں سوچتے ہیں اور سرکار کا جو نعرہ ہے، 'سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس'، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نعرے کے ساتھ ہمارے مزدوروں کا بھی وکاس ہوگا۔

(ختم شد)

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Code on Wages. Sir, this Bill is replacing the old Acts like the Payment of Wages Act, the Minimum Wages Act, the Payment of Bonus Act, the Equal Remuneration Act and all other Acts. This was referred to the Parliamentary Standing Committee. The Parliamentary Standing Committee also made a lot of recommendations. Some recommendations have been taken into consideration and remaining things are kept aside.

Sir, first of all, we appreciate the hon. Minister for bringing Clause 3 in Chapter-I. It is for prohibition of discrimination on ground of gender. It is a very good move. This relates to prohibition of discrimination between employees on ground of gender in payment of wages by same employer in respect of the same work or work of similar nature done. This move is appreciable. Another thing is, fixation of minimum wages in Clause 7, Chapter-II. We don' t know how it is calculated and under which recommendation, hon. Minister included such a Clause. Clause 7(1)(a) says, "A basic rate of wages with or without the cost of living allowance, and the cash value of the concessions in respect of supplies of essential commodities at concession rates, where so authorised." Then, Clause 7(1)(c) says, "An all-inclusive rate allowing for the basic rate, the cost of living allowance and the cash value of the concessions, if any". Respective State Governments in the country are giving some concessions to poorer sections of the society. While you are fixing the minimum wage, why are you calculating

[Dr. Banda Prakash]

5.00 P.M.

the concessions given by the States? How are you calculating? What is the data you have? Somebody may have opened a canteen; somebody may be providing mid-day meals; somebody may be providing meal at ₹ 5. How will you calculate the minimum wage? This is highly objectionable. I request the hon. Minister that while calculating this, you are missing all the recommendations of the Supreme Court and the ILO. But, you are putting such words in the Bill. It is highly condemnable. The International Labour Organisation, in its Report in November, 2018, had stated that nearly 41 per cent of the Indian workers feel that they are poorly paid. In a salary satisfaction survey among 22 countries of Asia Pacific Region, India had stood fourth from the bottom and not from the top. India is only above Bangladesh, Pakistan and Mongolia. I request the hon. Minister to take the basic criteria into consideration while calculating the minimum wage.

The basic issue with respect to minimum wage is the methodology used.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

A set of criteria was arrived at during the tripartite proceedings of the Indian Labour Conference supplemented by the Supreme Court' s prescription in *Workmen vs. Reptakos Brett & Co.* case which basically combines minimum expenses on food and non-food items. Various bodies arriving at the estimation, therein lies the problem. Recently, the Seventh Pay Commission arrived at a generous conclusion of ₹18,000 minimum wages for Government employees. Even when committee of the internal Labour Ministry has suggested ₹ 375 per day, and the Economic Survey 2019 had said that a better national wage ceiling will alleviate disparity and poverty in India it is very sad and astonishing that the Ministry has decided ₹178 as minimum wage in this country.

Sir, another fact that I wish to bring to the kind notice of the hon. Minister is Clause 13 (1)(a) - ' fix the number of hours of work which shall constitute a normal working day inclusive of one or more specific intervals;' But with one interval, it should be only eight hours. Even with two intervals, there should not be any twelve hours of work. Nobody will accept the twelve hours slavery. This is the Chicago' s Resolution. We should not deviate from eight hours work. The country should never go for twelve hours work. It is violated even in a number of software companies and other companies. We will not appreciate that stand.

Another important issue is this. …*(Time-bell-rings)*… Just one minute, Sir. The other important issue is the deductions. Under Clause 18, you have said, "the fines imposed on the workers" . What is this? Fines are imposed on him; why? How will they impose fine on the workers? What is the capacity of the employer to impose the fine? Who will judge that fine? That also you should tell us. I wish to tell the hon. Minister and the House that so much income tax is collected from the workers, particularly, coal mining workers or Singareni workers who are paying a lot of income tax. They come under the creamy layer category. They are foregoing the reservations also. I would request the hon. Minister, please consider this. They should be exempted from professional tax and other things.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. The time is over.

DR. BANDA PRAKASH: My last point is this. I would request the hon. Minister to kindly create welfare boards. There is the Beedi Workers Welfare Board. There is the Dolomite Stone Workers Board. Likewise, Construction Workers Welfare Board is there. I would request the hon. Minister to create boards for even the unorganized sector labour. Unorganized sector labour should also be brought under ESI and all the benefits should be given to the unorganized sector labour of the country. Thank you, Sir.

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I rise to oppose the Code on Wages Bill 2019. Today, the working people of our country are conducting countrywide demonstration and agitation against this Bill as per the call of national trade unions. On the same day, the Bill has come up for consideration in this House and it is moved by my friend and by the most respected Labour Minister, who is a popular leader and also very soft in nature. I am very sorry this is an action of challenging the working people of this country. This Bill is an exercise of deception and betrayal engineered on the working people of the country who are actually creating GDP, while most of others are enjoying a free lunch on the value created by them.

Sir, I oppose this Bill, which totally ignored the unanimous recommendations of the Parliamentary Standing Committee on Labour on the identically same piece of Bill which submitted its report before Parliament in second half of 2018.

I oppose the Bill, because in the name of subsuming into it four wage/bonus related Bills, it has most selectively incorporated some of the provisions from those Bills while diluting/removing others focussing on the discretionary advantage of the employers' class and their subservient Government thereby betraying workers' interest

[Shri Elamaram Kareem]

and trampling labour rights. Sir, it nakedly reflected the ugly obsession of the Government only for ' ease of doing business' at the cost of labour and labour rights.

The Bill ignored most undemocratically the unanimous recommendation and its reiteration of successive Indian Labour Conferences, *i.e.*, 15th, 44th; 45th and last 46th in 2015 and the related Supreme Court Judgment in 1992 on concrete formula of fixation of minimum wage at the benchmark level to ensure human survival of workers; the successive Governments at the Centre and States, including your Government, were a party to such unanimous recommendations. But, even then the Government refused to incorporate the same in the Bill, despite recommendations of the Standing Committee to act in tandem with such unanimous recommendation of ILCs, thereby making the minimum wages fixation an arbitrary exercise by bureaucracy alone at the dictate of the Government; I am sorry, at the dictate of the corporate/big business lobby. The recommendation of the Tripartite Minimum Wage Advisory Board both at Centre and States are not made mandatory in this regard—whether the Government is willing to accept it, they can accept or reject—thereby undermining the basic operational concept of tripartism and mocking at its own slogan, "*Sabka Saath, Sabka Vikas*" . Sir, this is "*Corporate Ka Saath, Aur Sabonka Vinash*".

Sir, in this background, all talks of providing a floor level national minimum wage in the Bill has become an absolute hoax. And the deceptive intention of the Government comes to light when the Labour Ministry appointed an Expert Committee to make an exercise deliberately tampering with the ILC recommendation for formulating minimum wages. Irony is that the Government of the day, under the dictate of the corporate, could not even accept the arbitrarily suppressed minimum wage figures arrived at by their own Expert Committee, and the cat had come out of the bag when our respected Minister in a press conference held on 10th July 2019 announced that the minimum wages would be ₹ 160/- per day as floor level minimum wage which is much less than the statutory minimum wage prevalent in at least 31 locations of the country, including Union Territories. The balloon of much touted magnanimity of the Government towards workers stands exploded and real intention of suppressing wages comes to light with all its fangs and claws.

Sir, despite concrete recommendations of the Standing Committee on Labour to remove the ambiguity in the definition of employees and workers in the Bill, and its usage in the operative part of the Bill, it was ignored in order to allow the employers

a free hand to take advantage of this ambiguity and harass the workers, particularly those covered under Sales Promotion Employees Act, Working Journalist Act and some other Acts also.

The BilI, with a diabolic intention to curb the rights of the labour, has continued to empower the employers' class to deduct eight days' wages for one day strike by the workers which is condemnable.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Kareem*ji*, it is already one minute more. *...(Time Bell rings)...*

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I am concluding. Who decide, Sir, that it is an illegal strike? Which employer admits that it is a legal strike? Strike is the right of the worker. He has the right to do work; he has the right to strike work.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Conclude, Elamaram*ji*; it is already one minute more.

SHRI ELAMARAM KAREEM: I am concluding. And, Sir, lastly, the life line of any Act is its enforcement mechanisms and related provisions. The Bill while changing the designation of Inspector as Inspector cum Facilitator—whom do they facilitate—and restraining their regular and routinely mandated duties for regular inspection to verify the compliance of Act by the employers...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am calling the next speaker now. *...(Time Bell rings)...*

SHRI ELAMARAM KAREEM: And, allowing inspection only with the prior permission from the highest level of the appropriate Government, virtually banned or crippled the system of inspection itself, thereby giving complete go-bye to strong enforcement of the Act itself again governed by their obsession for 'ease of doing business'.

MR. DEPUTY CHAIMRAN: Conclude, conclude. प्रो. मनोज कुमार झा, आप बोलिए।

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I have moved concrete amendments to this Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. Manoj Kumar Jha. You please start speaking. Let him speak. It will not go on record. Prof. Jha, please speak.

SHRI ELAMARAM KAREEM: *

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : मंत्री जी और हम सब को लेकर तकरीबन 40 लोग सदन में हैं और श्रम और पूंजी का यही फर्क है। अगर पूंजी की चर्चा होती, तो सदन खचा-खच भर होता, श्रम की बात हो रही है, तो 40 लोग हैं। सर, यह पूरे का पूरा जिंदा दस्तावेज़ है। मैं फैज़ की एक लाइन से शुरू करता हूं-

"हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे,
इक खेत नहीं, इक देश नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे।"

सर, अब इसमें सिर्फ ताली बजना रह गया है। अब इसका ज्यादा भाव नहीं है। अभी बीते दिनों, सत्यनारायण जटिया जी से बात हुई थी, दोला सेन जी भी हैं, हम तमाम दलों के अंदर ट्रेड यूनियन आंदोलन के खात्मे की अगर दास्तान देखनी हो, तो देखिए कि हम उचित मजदूरी से चलते-चलते न्यूनतम मजदूरी में आ गए हैं। माननीय मंत्री जी, यह मेरा पहला सबमिशन है। बुरा आपको भी लग रहा होगा, मैं जानता हूं कि आप पर भी बंदिशें हैं। माननीय मंत्री महोदय, हमारे देश में असंगठित मजदूरों की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि देर से आया हुआ कदम, जिसका मैं थोड़ा स्वागत भी करता हूं, लेकिन मैं इसका पुरजोर स्वागत करता हूं, सर मैं एक छोटी बात कहना चाहता हूं, भाजपा के पास बहुत वक्त है, चूंकि मैं बिल को मजबूत बनाने के लिए सलाह दे रहा हूं, तो दो-चार मिनट उधर से भी दे दीजिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। सर, इस कानून में विशेष ध्यान महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए है। मैं एक-एक सेक्शन के आधार पर बताऊंगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, गत वर्षों में एक-तिहाई से ज्यादा लोगों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली है। आपके एडवाइज़री बोर्ड में सब होते हैं, लेकिन श्रमिकों को प्रतिनिधित्व नहीं होता है। न्यूनतम वेतन का उल्लंघन करने वाले को आप हर्जाने की बात करते हैं। सर, सजा से क्यों मुकर जाते हैं? हमारे अंदर यह कौन-सा डर पूंजी ने पैदा कर दिया है कि हम हर्जाने की बात करते हैं और इसे आपराधिक मामला बनाने की बात नहीं करते हैं। सर, एक मजदूर को जब उसकी उचित मजदूरी नहीं मिलती है, आप उसे न्यूनतम कह लें, उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है, उसके सपने तार-तार होते हैं, उसका वजूद बिखर जाता है। लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, इस देश को तो पूंजी चला रही है। कहा जाता है कि 10 या 10 से ज्यादा लोगों को काम पर रखें, तब मजदूरी कानून उस पर लागू होगा। हम सब जानते हैं कि इसको कैसे violate किया जाता है। छोटे-छोटे यूनिट बनाकर-6, 5, 4 या कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम के आधार पर या 10 हजार या 20 हजार रुपया दे दिया और उसके बाद उसको घुमाते रहे, झारखंड से लेकर बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश। महोदय, बावजूद इसके 1976 से हमारे पास Bonded Labour System (Abolition) Act है, वह बंधुआ मजदूर बन जाता है, लेकिन बात पूंजी निवेश की होती है। न्यूनतम वेतन तय करने का अधिकार केन्द्र और राज्य दोनों को दिया गया है। मेरा मानना है कि पूंजी निवेश के कारण हर राज्य की अंदरूनी मंशा हो गई है कि पूंजी वहीं दबे पांव चलकर जाती है, जहां श्रम सस्ता मिल जाए, मुफ्त का मिल जाए, तो बढ़िया और सस्ता मिल जाए, तो यह तय कर लेंगे। इस कानून के अध्याय 7 के अनुच्छेद 5 में कहा जाता है- निरीक्षक और facilitator, आपने एक शब्द

*Not Recorded

उसमें जोड़ा है। जो यह facilitator साहब हैं, वे बिना अनुमति के जांच नहीं कर सकते हैं। वे बिना अनुमति के जांच नहीं करेंगे, अब यह तो कमाल की बात हो गई। मैं potential violator हूं, मुझे से पहले आकर मिल लेते हैं, तो क्या मैं कोई evidence रखूंगा? माननीय मंत्री महोदय, क्या मैं कोई साक्ष्य या सबूत रखूंगा? मैं जानता हूं कि आपकी मजबूरियां हैं, कोई ऐसे ही थोड़े बेवफा होता है। Labour Courts have been taken away. The definition of gender also needs clarification because it has to spell out, male, female and transgender. सर, आज-कल इस देश में चर्चा होती है, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, तो एक देश एक उचित मूल्य क्यों नहीं? हमें क्या चीज़ रोकती है? As per Clause 13 of the Bill, जहां आप कहते हैं eight working hours, please insert, ' not exceeding eight hours' . सर, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, अगर आप खुलकर नहीं लिखोगे, तो यह बंद कर देंगे। Code on Wages Bill, 2019 does not include any measures to prohibit discrimination in employment, particularly, of SC, ST, OBC क्योंकि caste-based discrimination में exclusion भी होता है।...(**समय की घंटी**)... सर, यह मेरी आखिरी टिप्पणी है। मैं जानता हूं कि श्रम और पूंजी की लड़ाई में श्रम हार रहा है, लेकिन यह हमेशा नहीं हारेगा।

"असल में आंधी को यह गुमान कि बस एक शजर गिरा,
उसे क्या पता कितने परिंदों का घर गिरा।"

शुक्रिया सर।

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this Bill. Sir, first of all, I oppose the Code on Wages Bill. Sir, the way in which this Bill is brought before this House, I do not approve of that. We are the owner of all the forty-four laws. As a trade union leader, I am proud to say that we enacted all those laws. I accept all the forty-four laws. While we implement the laws, there is a complication. Nowadays, the employers are more intelligent than the trade union leaders. They are exploiting the situation. They are quoting this law or that law. Due to this reason, all the trade unions have joined hands together to simplify and unify the laws.

In any other department, you can bring any law with the advice of the bureaucrats and the politicians. But, this is a labour department. There is a Standing Committee on Labour. That Standing Committee consists of Members from the trade unions, empolyers and government' s representative. Subsequently, there is an Indian Labour Conference. Whatever discussions had taken place in the Standing Labour Committee, that report would be placed before the Indian Labour Conference. Thereafter, after accepting the same, that will be made a law. I would like to know from the hon. Labour Minister whether he has called the twelve trade unions, including the BMS, for any

[Shri M. Shanmugam]

discussion. We requested the labour department that we will discuss the Bill verbatim, word by word, how to unify the laws, how to review the laws. We know that because we are the owner of the laws because we have enacted everything, and that is why, we are ready to give the advice. All of a sudden, the Code on Wages Bill, the Code on Industrial Relations Bill, the Code on Safety and Health Bill, the Code on Social Securities Bill, have been prepared by the department and brought before the Lok Sabha and Rajya Sabha, and these Bills had also been referred to the Select Committee. I had also received a message from the Parliamentary Standing Committee on Labour in 2017. We are the twelve trade unions recognised by the Government of India. We have two crore membership of labourers in all the trade unions. We are not honoured. After all, we want to help the government to simplify the laws. We are ready to give our advice to them. I am from Tamil Nadu. Labour is a concurrent subject. With the unity of all the trade union leaders, we pressurized the Government, and got enacted so many laws. We are the pioneer of the labour legislation in India. We enacted the Labour Welfare Act in 1981; we enacted the Manual Workers Act in 1981. The Manual Workers Act is the main Act by which we are forming all the unorganized Boards for the poor people. The Subsistence Allowance Act is also existing. Nowhere in India substiance as mentioned in this Act is available. We have inserted Sections 2A, 17B and 10B in the IDA Act of 1947. We have done it. It is a shameful that you have not consulted us before bringing in this legislation. Many friends have expressed what confusions in the Bill. I want to mention only one. The definition of ' workmen' is a unique definition. But, you have given two definitions- one for worker and one for employee. Why have you divided the labour? The division may be because of your policy. But, that should not be in the law. So, these are the few things. There are so many things on which consultations had to be taken with the trade unions. After that only it should have come before this House. I oppose the Bill, Sir. Thank you.

DR. NARENDRA JADHAV (Nominated) : Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to strongly support the Code on Wages Bill, 2019. At the very outset, let me recall a little bit of history. The labour welfare measures and the Framework for Tripartite Settlement was created in India, for the first time, by none other than the principal architect of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, when he worked as Labour Member in the British Viceroy' s Executive Council during the period 1942 to 1946. After that, there have been a series of reforms, but these were piecemeal labour welfare reforms. It is, probably, for the first time, that this kind of comprehensive reform of labour welfare is being undertaken. That is why, I would like to heartily congratulate the hon. Minister for bringing this Bill.

This comprehensive Bill aims at consolidation as well as constructive reforms of legislations relating to wages. The Code on Wages seeks to replace the four major legislations and bring one common legislation for regulation of payment of wages and bonus. This amalgamation will make it more convenient for the stakeholders and make it more accessible to the public, furthering the object of welfare and benefit to workers.

Sir, this Code has several reforms which are highly commendable. This Code reflects financial inclusion of the marginalised sections of the society by shifting from cash payment to digital transactions into the bank accounts of the employees. In this Code, there is an express provision prohibiting gender discrimination in recruitment as well as payment of wages. Yet another welcome reform is that under the proposed Code, the minimum wages provision applies to all establishments of organised as well as unorganised sector.

One more commendable provision is that the consideration to determine minimum wage would now include in the proposed Code the level of skill of worker, geographical locations of the workplace and hazardous occupations.

The sixth welcome reform is that the proposed Code provides for composition of a committee to recommend on minimum wages and expressly states that it must consist of equal number of representing employers and representing employees along with a few independent persons. Additionally, the Central Government is not supposed to fix the floor wages; they are now supposed to fix floor wages taking into account the cost of living and under no circumstances the minimum wage determined is to be less than the floor wage fixed. The mode of payment of bonus—here again, this is a very welcome provision—under the proposed Code will be paid by crediting it in the bank account of the employee instead of paying it in cash. Inclusion of women in the Advisory Board is a very, very important provision. ...*(Time Bell rings)*... Also, inclusion of the State representatives in the Advisory Board is also welcome. Sir, one final point...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down. We have very less time.

DR. NARENDRA JADHAV: Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri V. Vijayasai Reddy. Not present.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, there is a general consensus about the disposal of the Bill. So, I would suggest that we conclude the discussion at least by 6 o' clock and dispose of the Bill. So, I will request the Chair to reduce the time of the rest of the speakers and their views may be put forth within the reduced time so that we are able to conclude the discussion.

श्री संजय सिंह : उपसभापति जी, ट्रिपल तलाक़ आएगा, तो भी टाइम कम, लेबर का इश्यू आएगा, तो भी टाइम कम।

श्री उपसभापति : श्री वीर सिंह, you have three minutes only.

श्री वीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं "मजदूरी संहिता, 2019" पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अपनी नेता बहिन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, आज हमारे देश का ज्यादातर कारोबार मजदूरों पर निर्भर करता है। आज हमारे देश में लगभग 40 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, जो मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते हैं। उनके संरक्षण व हित के लिए कानून तो बहुत बने हैं, किंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। आज मजदूरों को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आवास प्रदान कराने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में मजदूरों की ऐसी हालत है कि पूरी दुनिया में कहीं भी मजदूरों की मंडी नहीं लगती है, लेकिन यहां हर शहर में, हर कस्बे में सुबह-सुबह मजदूरों की मंडी लगती है। मजदूर घर से आकर बैठ जाते हैं कि कोई हमें काम पर ले जाए। जब कोई नहीं आता तो बेचारे अपने घर चले जाते हैं। आज हमारे देश में जो 40 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, उनकी बहुत ही खराब दुर्दशा है। आज उनके लिए खाने की व्यवस्था भी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज जब आप यह बिल लेकर आए हैं, तो उन मजदूरों के हितों के बारे में भी सोचें, क्योंकि यदि आप देखेंगे, तो पाएंगे कि जो मजदूर वर्ग है, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति से ज्यादा है। यदि आप उनके हितैषी हैं, तो सबसे पहले उन्हें सही प्रकार की शिक्षा प्रदान करें। जब हम मजदूरों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करा देंगे, तो वे अपनी तरक्की का रास्ता स्वयं खोज लेंगे, किंतु सरकार की मंशा मजदूरों को सही शिक्षा प्रदान कराने की नहीं है। यदि इनकी सही शिक्षा प्रदान कराने की मंशा हो, तो पूरे देश में एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन आप जान-बूझकर मजदूरों को, मजदूरों के बच्चों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं। यदि वे शिक्षित हो जाएंगे, तो वे भी अच्छा कारोबार करेंगे। आज यदि आप उनको शिक्षित कर देंगे, तो उनका भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा।

महोदय, आज भारत सरकार स्वच्छ भारत की बात करती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सफाई कर्मचारी हैं, उनकी न्यूज़ आती है कि वे बेचारे सफाई कर्मचारी गटर में सफाई करने के लिए गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। यदि आज आप सफाई के नाम पर नौकरियां निकालेंगे, तो उसमें भी पढ़े-लिखे लोग apply करते हैं। ...**(समय की घंटी)**... सर, मैं बस दो मिनट और लूंगा। हमारे वक्ता और थे, हमने उनका नाम कटवा दिया है।

श्री उपसभापति : आप जल्दी खत्म कीजिए, मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा।

श्री वीर सिंह : सर, मैं जल्दी खत्म करूंगा।

श्री उपसभापति : आप एक मिनट में खत्म करें, otherwise मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा।

श्री वीर सिंह : इसके साथ-साथ मैं मनरेगा के बारे में कहना चाहूंगा। मनरेगा में आज मजदूरों का इतना बुरा हाल है कि जब सरकार से मजदूरी जाती है, तो ग्राम प्रधान उनसे signature करा लेता है और उनको सिर्फ आधी मजदूरी देता है, आधी खुद रख लेता है। इस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ईंट भट्ठे पर मजदूर जाते हैं। यदि भट्ठा मालिक को नुकसान हो जाता है, कोई हानि हो जाती है, उसका भट्ठा बैठ जाता है, तो वह मजदूरों की मजदूरी नहीं देता है। यदि crasher मालिक crasher में हानि हो जाती है, तो वह मजदूरों की मजदूरी नहीं देता है। इसलिए इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और ऐसा कड़ा कानून बनाना चाहिए कि उन मजदूरों को मजदूरी मिले।...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : वीर सिंह जी, आप समाप्त करें, चार मिनट हो गए हैं।

श्री वीर सिंह : धन्यवाद, सर।

श्री उपसभापति : माननीय संजय सिंह जी।

श्री संजय सिंह : सर, हम लोग 'Others' में बोल रहे हैं।

श्री उपसभापति : सर्वसम्मति से समय के बारे में हाउस में तय किया गया है। आप बोलें।

श्री संजय सिंह : सर, अगर 'Others' में समय कम रहता है, तो हम लोगों को कम समय मिलता है। अगर वक्ता कम हैं, तो आप इसमें समय जोड़ें। 'Others' में सिर्फ दो वक्ता हैं।

श्री उपसभापति : इस विषय पर हाउस ने जो आम सहमति से तय किया है, मैं उसके बारे में दोबारा नहीं कहना चाहता हूं। आप बोलें।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) : मान्यवर, आपने इस बिल पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मान्यवर, हम लोगों ने जब अपने राजनीतिक-सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, तो मैं फुटपाथ के लोगों के लिए काम करता था। इसके साथ-साथ मैं लंबे समय तक अपने इलाके में चौराहे पर जो मजदूर इकट्ठा होते थे, जिनको मजदूरी नहीं मिलती थी, उनकी लड़ाई लड़ता था। जो रेल कर्मचारी थे, उनके लिए हिन्द मजदूर किसान पंचायत में आदरणीय रघु ठाकुर जी के साथ रह कर जॉर्ज साहब के आर्गेनाइजेशन में मैंने लंबे समय तक काम किया। 16 वर्षों तक लगातार फुटपाथ के मजदूरों के लिए, फुटपाथ के लोगों के लिए, वहां काम करने वालों के लिए मैं काम करता रहा। वे चाहे भट्ठा मजदूर हों, वे चाहे घरों में काम करने वाले मजदूर हों, वे चाहे रेलवे में ad-hoc पर रखे गए मजदूर हों, वे चाहे बिजली विभाग में रखे गए ठेके के मजदूर हों, मैंने उनको देखा है। मैं आज इस सदन में आपके समक्ष और माननीय मंत्री जी के समक्ष एक व्यक्ति की दास्तान बताना चाहता हूं। वह सुल्तानपुर में बिजली कर्मचारी था। 1994 में हमारी उससे मुलाकात हुई। बिजली मजदूरों का एक संगठन था। उसका नाम था शिव प्रसाद यादव। उस वक्त मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र 33 साल हो गई है, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की है, तो उसने

[श्री संजय सिंह]

कहा कि जब हम permanent हो जाएंगे, तो शादी करेंगे। वह लेबर कोर्ट से मुकदमा जीता, हाई कोई से मुकदमा जीता, तमाम फैसले उसके पक्ष में आए, लेकिन आज 25 साल हो गए और वह बगैर शादी किए हुए जी रहा है। मुझे लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। उसकी उम्र 58 साल हो गई है। यह एक गरीब आदमी की पीड़ा है कि आज लोग अपना परिवार नहीं चला सकते, इसलिए शादी करने से भी डर रहे हैं, क्योंकि उनको मजदूरी नहीं मिलती।

मान्यवर, अगर हम मजदूरी की बात करें, अगर आप इस बिल में देखेंगे, तो हमने माननीय मंत्री जी का एक बयान देखा। उन्होंने कहा कि हम unskilled labour के लिए 178 रुपए मजदूरी तय करेंगे। 178 रुपए प्रतिदिन में किसी परिवार का, किसी मजदूर का गुजारा कैसे हो सकता है? मंत्री जी, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि आप दिल्ली सरकार के अरविन्द केजरीवाल जी के फैसले को देखिए। हमने unskilled worker के लिए 13,600 रुपए की न्यूनतम मजदूरी तय की, हमने semi-skilled worker के लिए 14,700 रुपए की मजदूरी तय की। और skilled workers के लिए दिल्ली में हमने 16,700 रुपए की मजदूरी तय की। मान्यवर, आप पूरे देश के अन्दर एक समान न्यूनतम मजदूरी तय करने की व्यवस्था कीजिए।

महोदय, आपने लेबर इंस्पेक्टर को लेबर मित्र बना दिया, आप उसको facilitator कह रहे हैं, इससे अच्छा होगा कि आप उसको लेबर मित्र की कह दीजिए, वह सुनने में अभी अच्छा लगेगा। पहले लेबर कानूनों का उल्लंघन करने वालों के मन में लेबर इंस्पेक्टर का एक भय था, लेकिन इस बिल के बाद शायद वह डर उनके मन से निकल जाएगा।...(**समय की घंटी**)...मान्यवर, आज जब हमारे पास टाइम है...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : नहीं, माननीय संजय जी, हमारे पास समय कम है। हाउस की सर्वसम्मति से हमें इस बिल को 6 बजे तक खत्म करना है।

श्री संजय सिंह : किसी ने यह बात नहीं कही है।

श्री उपसभापति : कहा है, सभी लोगों को यह कहा गया है और उसी ratio में समय कम किया गया है।

श्री संजय सिंह : सर, आप न्याय की पीठ पर हैं। जब हम लोगों का समय ज्यादा होता है, उस समय भी हमारा समय कम कर दिया जाता है।

श्री उपसभापति : उस वक्त भी आपको पूरा समय मिलता है, लेकिन अभी ऑलरेडी आप चार मिनट बोल चुके हैं, उस अनुपात में समय कम कर दिया गया है। ठीक है, आप जल्दी अपनी बात को खत्म करें।

श्री संजय सिंह : मैं अपनी बात खत्म की कर रहा हूं। लेबर इंस्पेक्टर का जो डर था, वह डर अब पूरे तरीके से लोगों के दिमाग से निकल जाएगा। वह पहले लेबर कानूनों का उल्लंघन

करने वाले employer को सूचित करेगा, तब उसकी जांच करने जाएगा और जब वह जांच करने जाएगा, चूंकि वे इतने बड़े खिलाड़ी होते हैं, तो पहले से ही वे सब ठीक कर लेंगे। इस तरह से जांच के नाम पर एक formality पूरी करने का काम आप कर रहे हैं। जो व्यक्ति लेबर कानून का उल्लंघन करता था, पहले criminal offence मानकर उसको जेल भेजने का प्रावधान था, लेकिन अब आपने उसकी सज़ा को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 या 1,00,000 रुपये के फाइल में तब्दील कर दिया। इस तरह तो वे रोज़ नियमों का उल्लंघन करेंगे। उनको 10,000, 3,000 या 5,000 का फाइन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।

तीसरी बात, मान्यवर, अगर हम भट्ठा मज़दूरों की बात करें, तो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आदि राज्यों में तमाम मज़दूरों को advance देकर लाया जाता है और यहां लाकर उनके साथ बंधुआ मज़दूरी का, प्रताड़ना का जो खेल खेला जाता है, उसको रोकने के लिए इस बिल में आपके पास कोई प्रावधान नहीं है। बल्कि आप इसमें यह कह रहे हैं कि मालिक जो एडवांस पैसा देगा, उसकी वसूली करने का वे काम करेंगे।

श्री उपसभापति : संजय जी, प्लीज, कन्क्लूड कीजिए।

श्री संजय सिंह : मान्यवर, अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब हम लोगों ने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत की थी, तो हम नारा लगाते थे- 'जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा।' हम नारा लगाते थे - 'धन और धरती बंट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी,' 'कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा।'

मान्वयर, मैं आपके माध्यम से इस बि के लिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इसमें जो जरूरी संशोधन हैं, जो जरूरी बदलाव करने की आवश्यकता है, वे किए जाएं, ताकि पूरे देश में मज़दूरों को उचित न्यूनतम मज़दूरी मिल सके और वे अपना जीवन अच्छी तरह चला सकें, उनके लिए आप ऐसी व्यवस्था कीजिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. P. Bhattacharya. You have five minutes.

SHRI P. BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I had ten minutes time. But, now, it has been curtailed to five minutes. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have not curtailed any time. ...*(Interruptions)*...

SHRI P. BHATTACHARYA: Anyway, Sir, मेरे देश में लेबर लोग सबसे neglected हैं। जब मेरे देश में लेबर लोग neglected हैं, तो सदन में discussion भी तो neglected होगा ही। इसमें क्या ताज्जुब है? यह तो होगा ही। हमारे लेबर मिनिस्टर बहुत अच्छे आदमी हैं। वे हमेशा चुपचाप रहते हैं, बहुत शांत आदमी हैं। उनमें oppose करने के लिए दम ही नहीं है। He heard all this, but he did not intervene and said that he would like to continue the discussion. I do not know how I will be able to articulate all the points within five minutes.

[Shri P. Bhattacharya]

It is an ocean. My Labour Minister will agree with me that it is an ocean. There are forty-four types of employments under the organized sector and sixty-one types under the unorganized sector. You take it from me, the position related to wages shall be applicable to all employments and would cover both, the organized as well as unorganized sector. There are sixty-one types of employment that come under unorganized sector. इनमें agriculture labours भी हैं, बीड़ी मज़दूर भी हैं, construction workers भी हैं, बाकी सब लोग भी हैं। I do not know how the Labour Minister will be able to fix the minimum wages for these sixty-one types of people. He has said that he will form an advisory committee. It is all right. I will not be surprised if the hon. Labour Minister may kindly feel one thing. Who has advised you to amalgamate 31 labour laws into four codes. I heard from the Finance Minister's Address that we are going to form four codes. The hon. Labour Minister will be knowing the facts that the International Labour Organisation (ILO), Geneva, held a meeting and in that ILO meeting, they constituted a small committee to look into these four Codes. How much will it be applicable and workable for the working class population in the world? As far as I know, they are not satisfied with these four Codes. Why? There is the Provident Fund Act, there is the ESI Act, likewise, so many Acts are there. How can you amalgamate all these things? You are seeing only the Payment of Wages Act. A minimum wage is not the only problem of the labour. But we are confining ourselves to only minimum wages of the labour. It is not the minimum wages only but also the social security of workers, which is the most important thing nowadays. Here, we are saying, Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, Payment of Bonus Act and Equal Remuneration Act. All right! You are saying these things. Sir, you will be surprised to know what they are saying. They are saying here .wages.. What is the definition of ' wages'? Bonus is a deferred wage, as per the court orders. What you have mentioned here is this. "Wages means all remuneration whether by way of salary, allowances or otherwise, expressed in terms of money or capable of being so expressed which would, if the terms of employment, express or implied, were fulfilled, be payable to a person employed in respect of his employment or the work done in such employment, and includes,—(i) basic pay; (ii) dearness allowance; and (iii) retaining allowance, etc." Only the bonus! This is not the bonus. Bonus includes so many other things. But, here, you have said, "any bonus payable under any law for the time being in force, which does not form part of the remuneration payable under the terms of employment;"

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI P. BHATTACHARYA: How can it be possible to give bonus? My next point is about the punishment. Those who are not paying proper wages to the working class people, how would you like to punish them? Now, we have so many arrangements. I would like to know from the hon. Minister whether all the existing laws - to go to the court, to file an FIR, to go to High Court-will exist or they will be abolished. It should be clearly mentioned. This is not mentioned in this Code. So, I would request you to look into this matter. Lastly, I would say, अगर दुनिया के मजदूर एक हो जाएं, तो हम लोग जिस तरीके से भी उनका दमन करना चाहें, वह नहीं होगा। "जो मजदूरों को ठुकराएगा, वह चूर-चूर हो जायेगा।" यह वाक्य बोल कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिन्द।

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, समय देने के लिए धन्यवाद। एक बहुत क्रांतिकारी फैसला माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने लिया, जिसे कार्यरूप देने के लिए, माननीय श्रम मंत्री जी मजदूरी संहिता, 2019 सदन में लाए हैं। उनका कार्य अद्‌भुत है, ऐतिहासिक है- 'न भूतो, न भविष्यति'। हिन्दुस्तान के 50 करोड़ लोगों को वेतन के दायरे में लाने का काम यह सरकार करने जा रही है। पहले 7 से 10 प्रतिशत, जो स्किल्ड वर्कर होते थे, उनके वेतन के बारे में ही चिन्ता होती थी। उस समय कहा जाता था कि- 'दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ' - लेकिन जिस तरह काम हो रहा था, मजदूरों के एक होने का नारा लगाना तो आसान है, किन्तु मजदूरों को एक करने का काम यदि किसी ने किया है तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है, जिसके लिए मैं उसे बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

हम जानते हैं कि आज एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। मिनिमम वेज का concept 1940 में आया था। उस समय जो मिनिमम वेजेज़ की बात आई थी उसमें फेयर वेजेज़ और मिनिमम वेजेज़ शामिल थीं। जिन वेजेज़ को हम internationally मान्य करते हैं, जो decent wages का concept है, International Labour Conference में मैंने Skilled globalization का concept दिया था। तीन वर्षों तक मैं उस पर बोलता रहा। निश्चित रूप से वह concept हमारा है। हमारे देश में मजदूरों की तीन प्रकार की श्रेणियां हैं- कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल। इन तीनों श्रेणियों के, कौशलीकरण के काम के आधार पर, वेजेज़ बढ़ने वाले हैं। वेजेज़ इतने बढ़ने वाले हैं कि निश्चित रूप से हर मजदूर अपने जीवन का गुजारा अब सम्मानपूर्वक कर पाएगा। डा. अम्बेडकर, जो भारत के संविधान निर्माता माने जाते हैं, उससे पहले वे Council of Ministers में श्रम मंत्री भी रहे थे। 1942 से 1946 तक उन्होंने मजदूरों के हित में नए कानून इजाद करने का काम किया था। मैं भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता हूं और 1964 से लगातार मजदूरों के हित में काम करता आया हूं। Trade Unions activities मैंने देखी हैं। मुझे Textiles, Heavy Electricals, Pharmaceuticals, Railways आदि Unions में काम करने का अनुभव है। इस आधार पर, मैं एक बात कह सकता हूं कि जब देश के लेबर मिनिस्टर, रविन्द्र वर्मा जी रहे थे- 1977-1980 के बीच उन्हें अध्यक्ष बनाकर हमने Second Labour Commission बनाया था। उस कमीशन ने

[डा. सत्यनारायण जटिया]

जो सिफारिशें दी थीं, उन्हें लागू करने के लिए, 2004 से प्रतीक्षा करते करते, आज 2019 में वह काम हो रहा है। बीच के काल में उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए किसी के पास फुरसत नहीं थी। इस दृष्टि से भी हमारे concept को पूरा करने के उपाय किए गए हैं। हमारी प्रारम्भ से मान्यता है कि देश में श्रमिकों का हित होना चाहिए। श्रमिक हमारे लिए औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और सर्वोपरि भी। हमने राष्ट्र का औद्योगीकरण, उद्योगों का श्रमिकीकरण और श्रमिकों में राष्ट्रभाव का जागरण हो- यह नारा दिया था। इस नारे के आधार पर हम कहते थे- 'देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम'- इस slogan को पूरा करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है, जिसके लिए वह बधाई की पात्र है। हम अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते आए हैं।

'जुल्म जब-जब भी बढ़ते हैं, सब्र के दरिया में तूफां आता है,
लहरें मचल उठती हैं, किनारे टूट जाते हैं।'

अन्याय के खिलाफ लड़ने का हौसला बुलन्द करने के लिए हम अनेक बार जेल जाने, कर्फ्यू तोड़ने और लाठी-चार्ज का सामना करते हुए, इस युग में आए हैं। मुझे लगता है कि हमारी सारी जिन्दगी के संघर्ष का जो निष्कर्ष है, उसे आज यहां श्रम मंत्री जी के माध्यम से, माननीय मोदी जी की सरकार ने उपस्थित किया है। निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है, ऐतिहासिक कदम है और इस कदम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं।

'उठो कि अब नई आंधियां चलाओ,
अरमानों के मचलते तूफां उठाओ,
क्रांति की चिंगारी अब शोले बनेंगे,
जो रोकेंगे रास्ता मजदूरों का वे नहीं रहेंगे, नहीं बचेंगे।'

इस सरकार ने मजदूरों के हित में एक शानदार कानून लाने का काम किया है, धन्यवाद।

SHRI S. MUTHUKARUPPAN (Tamil Nadu): Thank you, hon. Deputy Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak on the Code on Wages Bill, 2019.

Sir, as far as this Bill is concerned, the Second National Commission on Labour, which submitted its Report in June, 2002, had recommended that the existing set of labour laws should be broadly amalgamated into the following groups, namely, industrial relations, wages, social security, safety and welfare and working conditions. Further, in pursuance of recommendations of the said Commission, at the deliberations made in the Tripartite Meeting comprising Government employees and Industry representatives, it has been decided to bring the proposed legislation. The proposed legislation intends to amalgamate, simplify and rationalize the relevant provisions of the following four

Central Labour enactments relating to wages, namely, the Payment of Wages Act, 1936, the Minimum Wages Act, 1948, the Payment of Bonus Act, 1965 and the Equal Remuneration Act, 1978. The amalgamation of the said laws would facilitate the implementation and also remove the multiplicity of definitions and authorities without compromising on the basic concepts of welfare and benefits to workers. The proposed legislation would bring the use of technology and its enforcement. All these measures would bring transparency and accountability, which would lead to a more effective enforcement. Widening the scope of minimum wages to all workers would be a big step for equity. The facilitation for ease of compliance of labour laws would promote setting up more enterprises thus catalyzing the creation of employment opportunities. Further, this Code would apply to establishments where any industry, trade, business, manufacturing or occupation is carried out. This would also include Government establishments. The Central Government would make wage-related decisions for its authorities and establishments related to railways, mines, oil fields, among others. State Governments would make decisions for any other establishments. Wages include salary, allowance or any other component expressed in monetary terms. This would not include bonus provided to employees, or any travelling allowances among others. This Code talks about national minimum wage, fixing minimum wages, working hours and deduction. Under the Code, while employees' wages may be deducted on certain grounds including fines, absence from duty, accommodation given by the employer or recovery of advances given to the employees, this deduction shall not exceed 50 per cent of the employees' total wages.

Sir, in Tamil Nadu, the minimum wage is revised normally once in every four years. While fixing the minimum wages, variable Dearness Allowance is added to neutralize the cost of living. During 2017-18, minimum rates of wages have been revised in respect of 14 employments such as local authority, plantation, beedi rolling, bricks and tiles manufacturing, general engineering, etc. Apart from fixing the minimum wages for workers, the prime duty of the law enforcing people should be to ensure timely disbursement of wages to the employees and to prohibit unauthorized deductions from wages, payment of bonus and equal rates of wages to men and women workers. The unorganized sector is characterized by...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: As far as the State of Tamil Nadu is concerned, Tamil Nadu has constituted 17 unorganized workers welfare boards. This is an important point. I would conclude with this, Sir, as the time is limited.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, my time is five minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time and your party' s time is over. Please conclude.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: Sir, my time is five minutes and my senior colleague' s five minutes. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: The Government of Tamil Nadu has constituted 17 Unorganised Workers Welfare Boards like Tamil Nadu Construction Workers Welfare Board, Tamil Nadu Manual Workers Social Security and Welfare Board, Tamil Nadu Unorganised Drivers Welfare Board, Tamil Nadu Tailoring Workers Welfare Board, Tamil Nadu Hair Dressers Welfare Board, Tamil Nadu Washermen Welfare Board, Tamil Nadu Palm Tree Workers Welfare Board, Tamil Nadu Handicraft Workers Welfare Board, Tamil Nadu Handlooms and Handlooms Silk Weaving Workers Welfare Board, Tamil Nadu Footwear and Leather Goods Manufacturing and Tannery Workers Welfare Board, Tamil Nadu Artists Welfare Board, Tamil Nadu Goldsmiths Welfare Board, etc. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

SHRI S. MUTHUKARUPPAN: I urge the Central Government to provide all possible support to these Boards. ...*(Interruptions)*... I support this Bill.

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़) : सर, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री जी बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं, लेकिन मैं उनसे कुछ कहना चाहूंगी। मंत्री ने कहा कि हमने 11 ट्रेड यूनियंस से बात की और यादव जी ने भी कहा कि हमने 11 ट्रेड यूनियंस से बात की, लेकिन कितनी ट्रेड यूनियंस ने आपकी बात मानी, इसको आपने नहीं बताया। मैं बताना चाहूंगी कि ऐसी 10 ट्रेड यूनियंस हैं, जिन्होंने इस बिल को नकार दिया है। इसलिए मैं चाहूंगी कि यह बिल सेलेक्ट कमिटी में जाए।

आपने इसमें बताया है कि मजदूर न्यायपालिका में नहीं जा पाएंगे, बल्कि आपके एक Gazetted Officer रहेंगे, वे न्याय करेंगे। यह मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। वे न्यायालय नहीं जाएंगे, Gazetted Officer के पास जाएंगे, जो कि आपके द्वारा नियुक्त होंगे, तो मुझे लगता है कि यह सही नहीं हो रहा है। माननीय महोदय, अभी आपने बताया है कि मजदूरों को अब डिजिटल पेमेंट की जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि कितने मजदूरों को डिजिटल पेमेंट हो पाएगी? आज की

6.00 P.M.

तारीख में यह संभव नहीं है कि हर मजदूर को आप डिजिटल पेमेंट कर पाएं। मैं बताना चाहूंगी कि जब हम श्रम कानूनों की बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उनके शोषण की बात आती है तो बड़ा दु:ख होता है। आज आप गांव-गांव में देखिए, वहां हर आंगनवाड़ी और ग्राम पंचायत में मध्याह्न भोजन की योजना चल रही है। वहां के रसोइयों को बहुत ही कम मानदेय मिलता है। अगर बाहर के रसोइयों के वेतन से उनके वेतन की तुलना की जाए, तो उसमें जमीन-आसमान का अंतर रहता है। चाहे वह आंगनवाड़ी वर्कर हो, "आशा" वर्कर हो या संविदा का शिक्षक हो, उन सब का वेतनमान बहुत कम रहता है। यह तो बाहर की बात है, आप इस संसद में ही देख लीजिए। हमारी जो बहनें यहां पर टाइपिंग करती हैं, जो संविदा पर काम कर रही हैं, उनका वेतन और जो कुशल श्रमिक हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, जो चौथी श्रेणी वर्कर्स हैं, उनके वेतन में जमीन-आसमान का अंतर है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या आप वे संविदा कर्मचारी, जो संसद परिसर में काम कर रहे हैं, उनके चतुर्थ श्रेणी का वेतनमान देंगे?

माननीय मंत्री जी, जब कोई मजदूर काम करते-करते घायल हो जाता है, तो उसके इलाज के लिए जो हॉस्पिटल्स चिन्हित है, उनमें वह अपना इलाज कराने जाता है, लेकिन वहां पर लाखों-करोड़ों रुपयों का बकाया रहता है, उन्हें शासन से पैसा नहीं मिलता, इसलिए आज वे हॉस्पिटल्स बन्द होने के कगार पर हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि जो संगठित जगहें हैं, जहां पर मजदूर संगठित रहते हैं, जैसे NTPC, Lara जैसी जो बड़ी-बड़ी फैक्टरियां हैं, वहां श्रम कानूनों के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। जब वहां उनको ठीक से सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो आप बाहर उनको किस ढंग से मानदेय देंगे? जब आप जवाब दें, तब आप इस बारे में हमें बताएं।

इस बिल में न्यूनतम वेतन की बात आई है। इसमें न्यूनतम वेतन की बात बहुत जगह आई है, लेकिन अधिकतम वेतन की बात कहीं पर नहीं आई है। मान लीजिए, एक टूथपेस्ट की कीमत सरकार 10 रुपये रखती है। अगर मेरी छत्तीसगढ़ की सरकार उसे 12 रुपये में बेचना चाहे, तो वह नहीं बेच सकती है, क्योंकि आपने उसकी कीमत 10 रुपये ही रखी है, उस कीमत के अंदर ही उसे बेचना पड़ेगा। मेरी मांग है कि इसको आप पूरी तरह से ओपन कर दीजिए, ताकि राज्य-शासन जो चाहे, उस रेट पर उसे दे सके।

"श्रम की शक्ति-श्रम का मान, मांग रहा मजदूर-किसान।"

माननीय मंत्री जी, मैं कुछ बातें इस सदन में कहना चाहूंगी, भले आप लोगों को मज़ाक लगे। हम देख रहे हैं कि राज्य सभा के सांसद भी आज बंधुआ मजदूर बन गए हैं।

हमको यहां पर इसलिए बिठाया गया है कि आपको इतने बिल पास करने हैं, आप इतने बिल पास करके ही जाएंगे। महोदय, हमारे अधिकारों का भी हनन हो रहा है, न ज़ीरो ऑवर हो रहा है और न ही स्पेशल मेंशन हो रहा है।

श्री उपसभापति : छाया जी, एक मिनट...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PALIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN) : Sir, we are discussing a very significant ...*(Interruptions)*...

श्री प्रभात झा : हम यहां वेतन के लिए नहीं, बल्कि वतन के लिए बैठते हैं।

श्री उपसभापति : माननीय प्रभात जी, आप बैठिए।

श्रीमती छाया वर्मा : महोदय, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री उपसभापति : छाया जी, एक मिनट...

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, we are discussing a very significant legislation on Labour Reforms. So, I propose that we will sit till the disposal of this legislation.

श्री उपसभापति : सहमति है, ठीक है।

श्रीमती छाया वर्मा : महोदय, ठीक है, लेकिन मैं अपनी भावना को व्यक्त करना चाहूंगी।...**(व्यवधान)**... हमारे अधिकारों का भी हनन हो रहा है, न हम ज़ीरो ऑवर उठा पा रहे हैं, न Question Hour हो रहा है, आज स्पेशल मेंशन होना था, वह भी नहीं हो रहा है। हमारे काम के घण्टे बढ़ गए हैं, आज सदन को 5 बजे खत्म हो जाना था, लेकिन हमें 7 बजे तक बैठना है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि क्या हम लोगों के MPLAD को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये करेंगे? पिछले दिनों हमारे T.A., D.A. में कटौती हुई, क्या आप उसको बढ़ाएंगे? मैं यह मंत्री जी से जानना चाहूंगी, धन्यवाद।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : श्री आर. के. सिन्हा, आपके पास चार मिनट का समय है।

श्री आर. के. सिन्हा (बिहार) : महोदय, मुझे बताया गया था कि 10 मिनट का समय है, लेकिन आप 4 मिनट कह रहे हैं।

श्री उपसभापति : आपकी पार्टी ने तय किया है। हाउस की सर्वसम्मति से तय किया है।

श्री आर.के. सिन्हा : महोदय, माननीय संतोष गंगवार जी ने जो एक बहुत ही क्रान्तिकारी अधिनियम पेश किया है, मैं उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं, क्योंकि इससे 50 करोड़ मज़दूरों के जीवन-स्तर में सुधार होने की संभावना है और हम न्यूनतम वेतन का एक तल पर, एक मानक तय करेंगे, जिससे कम कोई भी राज्य सरकार नहीं कर सकेगी, यह बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत तैयारी से आया था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि समय कम है। मैं यह कहना चाहूंगा कि लगभग 40 प्रतिशत मज़दूरों को पहले जो लाभ मिल रहा था, अब शत-प्रतिशत हो गया है। यह बहुत बड़ी चीज़ है कि इससे 100 परसेंट कवरेज हुई है। मैं, अभी हमारी माननीय सांसद दोला सेन जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इस पर विचार नहीं हुआ, इस

पर जो विवेचना होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई। यह विधेयक वर्ष 2017 से ऊपर-नीचे कर रहा है, Select Committee में गया, यूनियनों से बात करना तो छोड़ दीजिए, एक महीने तक आपकी वेबसाइट पर पब्लिक के comments के लिए रहा। उसको भी लिया गया है। पूरे देश की जनता को और मज़दूरों को इसमें आमंत्रित किया गया है, ताकि उनकी भावनाओं को इसमें शामिल किया जाए। इसलिए यह कहना गलत है कि इसका नहीं किया गया है। अभी माननीय सदस्या कहकशां परवीन जी बहुत बढ़िया बात कह रही थीं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो migrant labour है, वह कई बार सामाजिक कारणों से बाहर जाता है और वह अपने गांव में मज़दूरी करने में सक्षम नहीं होता है इसलिए बाहर जाता है। उसके अधिकारों की सुरक्षा भी होनी चाहिए और उसको भी समाजिक सुरक्षा के सारे अधिकार मिलने चाहिए।

माननीय उपसभापति जी, इस अधिनियम से, जो चारों विधेयक थे, अलग-अलग कानून थे, उनको एक करके सरलीकरण किया गया है। जिससे कि मज़दूरों के हित में और नियोक्ताओं के हित में यह कारगर कदम है और इसका लाभ उनको मिलेगा। अभी यह कह दिया गया है कि वेतन कम दिया जाता है। अभी निषाद जी दिख नहीं रहे हैं, वे कह रहे थे। माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : श्री आर.के. सिन्हा जी, आप बोलिए।

श्री आर.के. सिन्हा : माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि माननीय निषाद जी कह रहे थे कि बहुत exploitation हो रहा है, बहुत शोषण हो रहा है और उनको मिनिमम वेजेज़ नहीं दी जा रही हैं। अनेक जगहों पर... मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। यह क्यों हो रहा है? यह मैं आपको बताना चाहता हूं और इस पर मैंने बहुत शोध भी किया है। यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि सरकार की जो एक नीति है कि आप न्यूनतम टेंडर पर काम देंगे, आप L1 पर काम देंगे।...**(समय की घंटी)**...तो उसमें consolidated wages पर आप काम देते हैं और उससे मज़दूरों को नुकसान होता है, इसलिए इस बात को जरूर देखना चाहिए कि उसका ब्रेकअप हो, उसमें मिनिमम वेजेज़, ई.एस.आई., पी.एफ., ग्रेच्युटी, बोनस के बाद में, जो उसका प्रॉफिट मार्जिन हो, वही हो। L1 का सिस्टम खत्म करिए, तो आप देखिएगा कि मज़दूरों का शोषण बंद हो जाएगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी जो मानक बताया गया है, यह मानक भी कम है।

सर, पांच से छः व्यक्तियों का परिवार होता है। उस परिवार में पति, पत्नी, कम से कम दो बच्चे और माता-पिता होते हैं। वह छः लोगों का पालन-पोषण कैसे करेगा? ये मिनिमम वेजेज़ जो हैं, अगर आप देखेंगे तो 29 राज्यों के मिनिमम वेजेज़ अलग-अलग हैं।...**(समय की घंटी)**...आप देखिए राजस्थान में मिनिमम वेजेज़ 5,500 है, तो महाराष्ट्र में 17,500 है, तो दिल्ली में 12,000 है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : श्री आर.के. सिन्हा जी, आप खत्म करिए। आप अपने समय से अधिक बोल चुके हैं।

श्री आर.के. सिन्हा : सर, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए कि इसका अनुपालन कैसे हो? सरकारी संस्थानों और पब्लिक सेक्टर में मज़दूरों का जो शोषण होता है, वह बंद किया जाए और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं पत्र लिखता रहता हूं, तो इस चीज़ को देखना चाहिए। तभी आप उसको इस हिसाब से सही ढंग से कर पाएंगे। मैं आपको पुन: बधाई देता हूं और बिल का समर्थन करता हूं।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। श्री रामदास अठावले जी, आपके पास एक मिनट का समय है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : उपसभापति महोदय,

"आज की नीली-नीली शाम,
लिखी जाएगी, मज़दूरों के नाम,
हर मज़दूर को हमें देना है काम,
ज्यादा से ज्यादा उनको देना है दाम।"

जो मोदी सरकार है और जो मज़दूर लोग हैं, जो कष्ट करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो मैं भी Sunday को खेत में काम करता था और मैं खेत मज़दूर था। यह मज़दूरी संहिता, 2019 बिल है, वह मज़दूरों को न्याय देने के लिए है, उनको पेंशन देने के लिए...**(व्यवधान)**... मज़दूरों की आवाज़ नहीं आएगी, तो किसकी आवाज़ आएगी?

सर, मज़दूरों के मिनिमम वेजेज़ को बढ़ाने की आवश्यकता है और जो न्यूनतम वेतन है, उसको महंगाई के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। जिस तरह रुपये का मूल्य कम होता रहा है, उसके मुताबिक मज़दूरी बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको पेंशन देने की आवश्यकता है, उनको बोनस देने की आवश्यकता है, जो लोग बीमार होते हैं।...**(समय की घंटी)**...उनके लिए आयुष्मान भारत योजना आई है, लेकिन और भी योजना बनाने की आवश्यकता है। अगर मज़दूरों को मजबूत करेंगे, तो देश मजबूत हो जाएगा, देश मजबूत हो जाएगा, तो मोदी जी मजबूत हो जाएंगे, मोदी जी मजबूत हो जाएंगे, तो हम मजबूत हो जाएंगे। हम लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। कांग्रेस वालों ने भी काम किया है, लेकिन बाकी का काम हमारे ऊपर है। हमारे देश में मज़दूरों की संख्या बहुत अधिक है, आज देश भर में 50 करोड़ से ज्यादा मज़दूर हैं। जब बाबा साहेब अम्बेडकर लेबर मिनिस्टर थे, तब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था।...**(समय की घंटी)**... जो 12 घंटे की ड्यूटी थी, वह 8 घंटे की हो गयी।...**(समय की घंटी)**...सर, यह मज़दूरों का विषय है।

श्री उपसभापति : धन्यवाद अठावले जी।

श्री रामदास अठावले : लेकिन कामगारों के लिए भी बाबा साहेब ने बहुत अच्छा काम किया है।

श्री उपसभापति : धन्यवाद अठावले जी, अब मैं मंत्री जी को बुलाता हूं।

श्री रामदास अठावले : इसी तरह से मज़दूरों को वेतन देना, उनका हक देना - इस सबके लिए यह बिल लाया गया है। मैं मेरी पार्टी, Republican Party of India (A) की तरफ से इस बिल का पूरा सपोर्ट करता हूं। माननीय गंगवार जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, वे बरेली से चुनकर आते हैं, वहां पर भी मज़दूरों की काफी संख्या है।

सर, मैं इस बिल का पूरा सपोर्ट करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं, जय भीम, जय भारत।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी।

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, please. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the Minister reply. I will give you chance.

SHRI BINOY VISWAM: Yesterday, I gave my name. I have a right to speak.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your name is not there. ...*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM: I had given it yesterday itself. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your name is not in the list. ...*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM: I should be called. I have a right to be called on this Bill. ...*(Interruptions)*... I have a right to speak on this Bill. ...*(Interruptions)*... It is an important Bill for me. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Speak for two minutes. ...*(Interruptions)*... You have not given your name. Even then, I am giving you two minutes' time. ...*(Interruptions)*... You have not given your name. Even then, I am giving you time.

SHRI BINOY VISWAM: I gave it yesterday itself. ...*(Interruptions)*... I don' t lie.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: My advice is, in future, please take care....*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM: I gave it. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not in the list. Anyway, please speak.

SHRI BINOY VISWAM : Sir, the Labour Minister should be congratulated. He is the only Minister who took initiative to have a Standing Committee process and I am thankful that 17 out of 24 recommendations have been included in this Bill.

Still, I would say that this Bill is not meant to protect the interests of the labour. Sir, there is a struggle going on all over the world between capital and labour and this

[Shri Binoy Viswam]

Bill, though being passed in the name of labour, stands only for the capital and not for the labour.

Look at Clause 9. You speak about the Minimum Wages. In this country, we talked about Minimum Wages decades back in early forties. In 1948, we had the Minimum Wages Act in this country. Now, in 2019, this Act comes which says that we can think of floor wages. What is that? It is ₹ 178. It is your statement and you are saying that, if in a State, it is higher than that, it can be so, but, still, the thrust is on the floor wage. Sir, the minimum wage should be calorie-based or need based but you are not concerned about it. On that point, we have disagreement.

Then, you have a proposal to have facilitator under Clause 51. Who is the facilitator? He has the duty to facilitate whom? The worker or the employer? We believe that the facilitator, not the inspector, will facilitate the employer's interest. He will go to him, take his permission and go back and you can imagine, in India, who will be facilitated? Sir, this is a country in which 78 per cent of the wealth is controlled by one per cent of the population. *...(Time-bell-rings)...* In this situation, the interests of labour, who builds all the wealth of the country, are not taken into account. I request you to take the opinion of the BMS. I am sure, the BMS will not support the Code on Wages Bill. They will not support.

Sir, the working class in the country is agitated today. Raising our voice together with them, we say that this Bill cannot be passed in this way. We protest it. *...(Time-bell-rings)...*

Lastly, Sir, this House debates a lot but when the issue of labour has come, many benches are vacant here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI BINOY VISWAM: On both the sides. This side is better than that side. On that side, they have the mandate and the whip. This side, we can see it. This is not accidental. When the question of labourers and workers comes and when the interest of the class comes, this is the reality. I raised this issue. And with this, I oppose the Bill. Thank you, Sir.

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : आदरणीय उपसभापति जी, 22 सांसदों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे हैं। मैं श्री मधुसूदन मिस्त्री जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने शुरुआत करके कहा था कि वह सुबह कब आएगी। वह सुबह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मजदूरों के लिए अब शुरू हो गई है। उनको महसूस करना चाहिए कि हम देश के 40 करोड़ मजदूर भाई-बहनों के लिए ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। लोग हमसे

पूछते हैं कि आप इनको वेतन देने का काम कैसे करेंगे? क्योंकि संगठित क्षेत्र में रोजगार देना एक अलग बात है, पर असंगठित क्षेत्र में सबको रोजगार देना, यह वास्तव में सोच से आगे की बात है। वास्तव में हमारी वर्तमान सरकार इस सोच से आगे बढ़कर काम कर रही है। हम सबकी कैसे चिंता करें, इसके हिसाब से हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। अब देश के सारे मजदूर भाई-बहन इन न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आ जाएंगे। पहले लोग सोच नहीं पाते थे। हमारा काम है कि हम इसको सुनिश्चित करें और उसके हिसाब से काम करें। अभी हमारे कुछ साथी floor wage की बात कह रहे थे। मैंने कहीं पर भी floor wage की बात नहीं की थी। पिछली सरकर में, कभी किसी ने 184 या 186 की बात की थी, वह एक अलग बात थी। हमारा मानना यह है कि सारे wage तय करने का काम जो tripartite समितियां होती हैं, जिसमें मजदूर संगठन और employers और राज्य सरकारें मिलकर, यह तय करती हैं, इसमें अब हमने यह प्रावधान कर दिया है कि इसमें एक-तिहाई महिला साथी भी होंगी और बैठकर इसको तय करने का काम करेंगे। इसके हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हमने कुछ और भी जो फैसले लिए हैं कि सारे कानून में मजदूर की समस्या के समाधन के लिए अपील करने का जो 6 महीने से 2 साल तक का समय होता है, उसे इकट्ठा तीन साल कर दिया कि तीन साल के अंदर मजदूर अपील कर सकता है और उसे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।

अभी हमारे कुछ साथियों ने भेदभाव के बारे में कहा था। सारे भेदभावों को दूर करके, अब महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होगा और अब हम लोगों ने यह भी तय किया है कि transgender भाइयों के लिए भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा और वेतन मिलने में, भर्ती होने में और काम की स्थितियों में कोई विरोध करने की बात नहीं आएगी। ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे काम हमारी सरकार कर रही है और जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, यह वास्तव में लोग सोच भी नहीं सकते थे। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि संविदा करने के काम में न्यूनतम मजदूरी में जो लाभान्वित होंगे, हम जब चर्चा करते हैं काम करने वाली हमारी माताएं, बहनें और कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, जो एक-एक दिन में चार-चार, पांच-पांच घरों में काम करते हैं, लोग हम से सवाल कर रहे थे कि पैसा कैसे तय करोगे? हमने कहा कि समझ में आना चाहिए, असम, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं और वहां पर प्रति घंटे 30 से 37 रुपये के बीच में, उनको वेतन का भुगतान होता है। उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 11 राज्यों में घरेलू कामगारों को पहले से ही न्यूनतम मजदूरी मिल रही है। अब हमें इसको पूरे देश में लागू करना है, उसके हिसाब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और उसके हिसाब से तय करने का कम रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि हमारे साथियों ने जो बातें बताई हैं, हमने सारी बातों को नोट किया है। जो हमारी tripartite कमेटी है, जिसमें सारे मजदूर संगठन...अभी हमारी बहन कह रहीं थीं, हमने पहला जो फैसला किया था उसमें 13 मजदूर संगठन आए थे। यह बात अलग है, राजनैतिक कारणों से अब बाद की मीटिंग्स में हमारे कुछ साथियों ने बायकॉट करने का जो मन बनाया है, पर इस पहले कानून में सबकी सहमति थी, सब हमारे साथ थे और उसके हिसाब

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

से हम यहां पर इस काम को कर रहे हैं। जहां तक floor wage की बात है, floor wage का हमने अभी कछ तय नहीं किया है। Floor wage के मामले में, यह tripartite committee बैठेगी, बैठकर जो तय करेगी, वह जो wage होगी, वह मिनिमम होगी, अगर कोई राज्य सरकार जैसे हमारे साथी कह रहे थे कि दिल्ली वाले ज्यादा देते हैं, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर मिनिमम हम लोग तय करेंगे, इससे कम न दिया जाए और उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम करेंगे। उपसभापति महोदय, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि हमारी इस एडवाइज़री कमेटी में श्रमिक संगठन, एम्प्लॉयर, राज्य सरकार के प्रतिनिधि और जरूरत होगी, तो हम विशेषज्ञों को भी इसमें लेने का काम करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि एक-तिहाई महिलाएं भी इसमें अवश्य होंगी। इसके अतिरिक्त अगर हमें महसूस होगा, तो हम एडवाइज़री कमेटी की आवश्यकतानुसार टेक्निकल कमेटी का भी गठन करेंगे और उसके अनुसार ही हम फैसला लेने का काम करेंगे।

उपसभापति महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोड में हम फ्लोर वेज जो तय कर रहे हैं, वह अपने क्षेत्र के हिसाब से, राज्य के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी भविष्य में तय करेगा। अभी हमने इसमें कोई न्यूनतम मजदूरी तय नहीं की है। इस बिल के पास होने के बाद, यह कमेटी meet करेगी और यह कमेटी बैठकर खुद तय करेगी कि हम कितनी न्यूनतम मजदूरी तय करें और उसके हिसाब से आगे हम काम करेंगे। यह अधिकार केन्द्र सरकार नहीं ले रही है। इस बारे में राज्य सरकार अपने हिसाब से फैसला करे और उसके हिसाब से हम काम करेंगे।

उपसभापति महोदय, मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि Reptakos के बारे में हमारे एक-दो साथी बोले थे और वास्तव में यह प्रसिद्ध निर्णय है, इसको ध्यान में रखकर ही हम लोग फैसला लेंगे तथा इसकी जो भी संस्तुतियां हैं, उनके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हम जो भी फार्मूला तय करेंगे, वह इसके हिसाब से तय करेंगे। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए हम लोगों ने जो समय पांच वर्ष का दिया है, अगर कोई राज्य सरकार चाहेगी कि हम तीन वर्ष में तय करेंगे, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, इसमें राज्य सरकार जो भी तय करना चाहेगी, वह इसको करने का काम करेगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

जहां तक एक दिन में दिए जाने वाले घंटों की बात है, तो अभी एक साथी आठ घंटे की बात कर रहे थे, तो इसमें कोई if or but की बात नहीं है, यह तय है। यह विषय बहुत ही संवेदनशील है। हम इसमें ऊपर कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, पर इसमें शिकायत की कोई बात नहीं मिलेगी, लेकिन घंटे तय करने के बाद हमारा जो दूसरा OSH का बिल आएगा, वह इसे तय करने का काम करेगा। उसमें ही यह तय होगा कि कौन, कितनी देर, किस हिसाब से काम करेगा और उसमें इसकी चर्चा होगी। माननीय सदस्यगण, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह स्टैंडिंग कमेटी में साल भर रहा और आम देशवासियों के सामने रहा, उनके बीच में रहा और इसमें जितने भी विचार आए, उन सब पर विचार करके ही हमने यह फैसला किया है। आप सब से मेरा आग्रह है कि आप इस बिल पर अपनी पूरी सहमति देने का काम करें और निश्चित रूप में मजदूरों

के हित में एक बड़ा निर्णय हम सब मिलकर ले रहे हैं। वास्तव में मजदूर कैसे इस काम में आगे बढ़ें, हम इसको तय करेंगे। मैं अधिक न बोलते हुए, आप सबका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इसमें सहयोग और समर्थन दें।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Shri Elamaram Kareem for reference of the Code on Wages, 2019, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha, to vote. The question is:

"That the Bill to amend and consolidate the laws relating to wages and bonus and matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri Elamaram Kareem
2. Shri Tiruchi Siva
3. Shri Binoy Viswam
4. Shri Majeed Memon
5. Prof. Manoj Kumar Jha
6. Shri Sanjay Singh
7. Mir Mohammad Fayaz
8. Shri Nazir Ahmed Laway
9. Shri B. K. Hariprasad
10. Shri Ashok Siddharth

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Amendment moved by Shri Binoy Viswam for reference of the Code on Wages, 2019, as passed by Lok Sabha, to a Select Committee of the Rajya Sabha, to vote. The question is:

"That the Bill to amend and consolidate the laws relating to wages and bonus and matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha, consisting of the following Members:-

1. Shri Elamaram Kareem
2. Shri Jairam Ramesh
3. Shri Javed Ali Khan

[Mr. Deputy Chairman]

4. Shri Majeed Memon
5. Shri Ashok Siddharth
6. Shri Abdul Wahab
7. Shri B. K. Hariprasad
8. Prof. Manoj Kumar Jha
9. Ch. Sukhram Singh Yadav
10. Shri Binoy Viswam
11. Shri V. Vijayasai Reddy
12. Shri Vaiko
13. Shri M. Shanmugam

with instructions to report by the last day of the first week of the next Session of the Rajya Sabha".

The motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the Motion moved by Shri Santosh Kumar Gangwar to vote. The question is:

"That the Bill to amend and consolidate the laws relating to wages and bonus and matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill. In Clause 2, there are three Amendments —Amendment (No.7) by Shri Elamaram Kareem and Amendment (Nos.20 and 21) by Dr. T. Subbarami Reddy. Shri Elamaram Kareem, are you moving?

CLAUSE 2 —DEFINITIONS

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, I move:

(No.7) That at page 3, line 45, *for* the word "Inspector-cum-facilitator", the word "Inspector", be *substituted.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving your Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I am not moving.

MR. CHAIRMAN: I shall put the Amendment (No.7) moved by Shri Elamaram Kareem to vote.

The motion was negatived.

Clause 2 was added to the Bill

Clauses 3 and 4 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 5, there is one Amendment (No. 8) by Shri Elamaram Kareem. Are you moving the Amendment?

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, just one minute. This is only to avoid confusion between employees and workers. Please consider this.

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, employee और worker की definition के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि worker specific होता है और employee कोई भी हो सकता है, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं है। हम और आप बैठकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

SHRI ELAMARAM KAREEM: Still, Sir, in several Clauses, it is written like that. So, I am moving it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving the Amendment?

CLAUSE 5 —PAYMENT OF MINIMUM RATE OF WAGES

SHRI ELAMARAM KAREEM : Sir, I move:

(No. 8) That at page 6, line 3, *after* the word “employees” the words “or worker or both as defined under sub-sections (k) and (z) of section 2” , be *inserted.*

The question was put and the motion was negatived.

Clause 5 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 6, there are three Amendments; Amendment (No. 22) by Dr. T. Subbarami Reddy, Amendments (Nos. 28 and 29) by Shri Madhusudan Mistry. Dr. Subbarami Reddy, are you moving your Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Just one minute, Sir. I would like to draw the attention of the Minister to include inflation and cost of living, namely, Consumer Price Index to be the basis of fixing minimum rate of wages for the employees.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: We will decide in this as per the Supreme Court decision.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving the Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I am not moving it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Madhusudan Mistry, are you moving your Amendment?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I just want to draw the attention to this. The factors in determining the minimum wages, I have mentioned them in my Amendment. I would be very happy if those are considered because you fix the minimum wages on the basis of calorie as well as unit because they are taking only three units. I want them to take five units. I would be very happy if the Minister clarifies that.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: As per decision of Reptakos, we will set up a Committee. The Committee will certainly decide on this and whatever is possible, we will contact you.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: You are assuring us.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: Yes.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: With the assurance, I am not moving it.

Clause 6 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 7, there is one Amendment (No.9) by Shri Elamaram Kareem. Are you moving your Amendment?

CLAUSE 7 — COMPONENTS OF MINIMUM WAGES

SHRI ELAMARAM KAREEM : Sir, I move:

(No.9) That at page 6, *after* line 44, the following be *inserted,* namely:-

> "Provided that components of minimum wages under this section shall be computed on the basis of the norms or criteria recommended by the 15th Indian Labour Conference (1957) and the directions of the Supreme Court (Raptakos Co. *Vs.* Workers' Union) 1992 as unanimously recommended by the 44th Indian Labour Conference (2012) and reiterated by 45th (2013) and 46th Indian Labour Conferences (2014)."

The question was put and the motion was negatived.

Clause 7 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 8, there are six Amendments; Amendments (Nos. 10 to 13) by Shri Elamaram Kareem, Amendment (No. 23) by Dr. T. Subbarami Reddy, and Amendment (No. 30) by Shri Madhusudan Mistry. Mr. Elamaram Kareem, are you moving your Amendments?

CLAUSE 8 — PROCEUDRE FOR FIXING AND REVISING MINIMUM WAGES

SHRI ELAMARAM KAREEM : Sir, I move:

(No.10) That at page 7, line 7, the word "either" be *deleted.*

(No.11) That at page 7, *for* lines 8 to 12, the following be *substituted,* namely:-

"(a) ensure fixation of minimum wage as per the norms or criteria recommended by the 15th Indian Labour Conference (1957) and the directions of the Hon' ble Supreme Court (Raptakos Co. *Vs.* Workers' Union) 1992 as unanimously recommended by the 44th Indian Labour Conference (2012) and reiterated by 45th (2013) and 46th Indian Labour Conferences (2014).

"(b) appoint as many committees as it considers necessary to implement the norms or criteria as per clause (a) above on the basis of price-level (Consumer Price Indices) prevalent at the time of appointment or as per the terms of reference on the period decided by the Government to arrive at the minimum wage figures."

(No.12) That at page 7, *for* lines 20 to 25 , the following be *substituted,* namely:-

"(3) After examining the figures of minimum wage arrived at by the committee appointed under clause (b) of sub-section (1), the appropriate Government shall by notification fix, or as the case may be, revise the minimum rates of wages and unless such notification otherwise provides, it shall come into force on the expiry of three months from the date of its issue."

(No.13) That at page 7, line 29, the word "ordinarily" be *deleted.*

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. T. Subbaramy Reddy, are you moving your Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I have just one small point. I would like to draw the attention of the Minister to this. Revision of minimum wages of workers at every three years instead of five years, you may examine this. I am not moving.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: State can decide, anytime they can meet. There is no problem. It is not for us.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Madhusudan Mistry, are you moving your Amendment?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: No, Sir; I have the same Amendment. Instead of five years, we are requesting that you may revise it every three years.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: It' s maximum limit. State can sit. Within two years and three years, not possible.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I would still be happy if you give a direction to the State to do this. This is not the kind of a commission which would decide the wages for the entire bureaucracy and so on. These are the minimum wages for workers who have been striving to live their life.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: Whenever they like, they can decide.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mistryji, are you moving?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I am not moving my Amendment.

Clause 8 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 9, there are three Amendments. Amendment (No.1) by Shri Ripun Bora; Amendment (No.14) by Shri Elamaram Kareem; Amendment (No.31) by Shri Madhusudan Mistry. Shri Ripun Bora, he is not present. Shri Elamaram Kareem, are you moving your Amendment?

CLAUSE 9- POWER OF CENTRAL GOVERNMENT TO FIX FLOOR WAGE

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I move.

(No.14) That at page 7, line 32, *after* the words, “as may be prescribed” , the following be *inserted,* namely:-

"by the norms or criteria recommended by the 15th Indian Labour Conference (1957) and the directions of the Hon' ble Supreme Court (Raptakos Co. *Vs.* Workers' Union) 1992 as unanimously recommended by the 44th Indian Labour Conference (2012) and reiterated by 45th (2013) and 46th Indian Labour Conferences (2014)."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Madhusudan Mistry, are you moving your Amendment?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: No, Sir. I am not moving my Amendment. I just wanted them to define this minimum living standard. What is that minimum living standard? Minimum living standard, according to me, should be the fair wage. But, I don' t know; as you are not even considering minimum wage, how would you consider the fair wage!

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: The Supreme Court decision is Raptakos decision. You can understand it.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Okay, I am not moving my Amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Amendment (No. 14) moved by Shri Elamaram Kareem to vote.

The motion was negatived.
Clause 9 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 10, there is one Amendment (No.32) by Shri Madhusudan Mistry. Shri Mistry, are you moving your Amendment?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, in Clause 10, I just wanted the Minister to clarify these normal working hours not exceeding eight hours because it doesn' t specify. Specify that one.

श्री संतोष कुमार गंगवार : इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है कि इसको बढ़ा रहे हैं?

श्री मधुसूदन मिस्त्री : बोलने की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि जब इधर फैक्टरी एक्ट का बिल आया था, तो उसमें working hours बढ़ाने की बात थी।

श्री संतोष कुमार गंगवार : वैसे इस इश्यू पर अलग कोर्ट में, ओएसएच कोर्ट में बातचीत होगी, इसलिए इसमें 8 hours की कोई बात ही नहीं है।

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I am not moving my Amendment.

Clause 10 was added to the Bill.

Clauses 11 and 12 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 13, there are three Amendments. Amendment (No.2) by Shri Ripun Bora; he is not present. Amendments (Nos. 33 and 34) by Shri Madhusudan Mistry. Shri Mistry, are you moving your Amendments?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: No, Sir, the Minister has clarified that minimum wage in Tamil Nadu and others are on hourly basis. So, I am not moving my Amendments.

Clause 13 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 14, there is one Amendment (No.35) by Shri Madhusudan Mistry. Shri Mistry, are you moving your Amendment?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I will just request the Minister that if someone works for more than one hour, say, one hour and ten minutes or one hour and twenty minutes, instead of considering it as twenty minutes, consider it to the next hour. That is my Amendment. If you consider it then it is fine; otherwise, I am not moving my Amendment.

श्री संतोष कुमार गंगवार : ओएसएच कोर्ट में इस पर चर्चा होगी।

Clause 14 was added to the Bill.

Clauses 15 and 16 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 17, there is one Amendment (No.24) by Dr. T. Subbarami Reddy. Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving your Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: I just want to say a small thing before my decision. It is about wages that are paid on fortnightly basis for workers. So, you must think of that and it should be paid at the end of first day after the fortnight. You may examine this point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving your Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I am not moving my Amendment.

Clause 17 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 18, there are seven Amendments. Amendment (No.25) by Dr. T. Subbarami Reddy and Amendments (Nos.36 to 41) by Shri Madhusudan Mistry. Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving your Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, there is a small thing. I suggest that the total deduction that the employer may deduct, if it exceeds 40 per cent of the wage for the month, it should be done in installments. You can examine this point. I am not moving my Amendment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Madhusudan Mistry, are you moving your Amendments?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I want to mention that there is a deduction by any cooperative society. Instead, it should be the cooperative society formed by the labourers of that establishment. If somebody is taking from any other cooperative society, which is outside the establishment, that money should not be deducted from the salary of the workers.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mistryji, are you moving your Amendments?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: I am not moving my Amendments.

श्री संतोष कुमार गंगवार : हम आपको clarify करवा देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put Clause 18 to vote.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, there are my other amendments also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is about Amendments (Nos.36 to 41). I have already asked.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: What about Amendments (Nos. 43 to 47)?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That will come later on. Mistryji, are you moving your Amendments?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: No, Sir. I am not moving them.

Clause 18 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 19, there is one Amendment (No.42) by Shri Madhusudan Mistry. Mistryji, are you moving it?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: In Clause 19, instead of having three per cent, I have asked for a fine of one per cent. अगर आप 15 हमार पर 3 परसेंट गिनेंगे, तो 450 रुपए फाइन होता है और एक परसेंट गिनेंगे, तो 150 रुपए होंगे। इसके ऊपर एक परसेंट का मेरा amendment है। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से request करता हूं कि इसको ज़रा consider करिए और हो सके, तो इसको 3 परसेंट मत रखिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : हम इसको clear करके बाद में बता देंगे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving it?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: No, Sir.

Clause 19 was added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 20, there are two Amendments (Nos.15 and 16) by Shri Elamaram Kareem. Are you moving them?

CLAUSE 20- DEDUCTIONS FOR ABSENCE FROM DUTY

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I move:

(No.15) That at page 11, lines 46 to 48, be *deleted.*

(No.16) That at page 12, lines 1 to 7, be *deleted.*

The question was put and the motion was negatived.
Clause 20 was added to the Bill.
Clauses 21 to 25 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 26, there is one Amendment (No.43) by Shri Madhusudan Mistry. Mistryji, are you moving it?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I am not moving but I want to draw the attention of the Minister that there is a bonus normally from 8.3 per cent to 20 per cent. I want an increase of five per cent in the bonus amount paid to the workers. I am not moving my Amendment. I want you to just examine this one.

Clause 26 was added to the Bill.
Clauses 27 to 30 were added to the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 31, there are three Amendments. Amendment (No. 17) by Shri Elamaram Kareem. Amendments (Nos. 44 and 45) by Shri Madhusudan Mistry. Shri Elamaram Kareem, are you moving it?

SHRI ELAMARAM KAREEM : As per the Payment of Bonus Act, companies have to provide balance sheet for the examination by the trade unions to calculate bonus. Now, in the Code, it says that the authority shall not disclose any information contained in the balance sheet. It is very bad. It cannot be agreed. Please comment on this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving it?

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: There is no change.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving it?

SHRI ELAMARAM KAREEM: If there is no change, it means it is there in the Code. …*(Interruptions)*…

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you moving it?

CLAUSE 31-PAYMENT OF BONUS OUT OF ALLOCABLE SURPLUS

SHRI ELAMARAM KAREEM: Yes. I move:

(No.17) That at page 14, lines 45 to 46, the words “but the authority shall not disclose any information contained in the balance sheet unless agreed to by the employer” be *deleted.*

The question was put and the motion was negatived.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now take up Amendments (Nos. 44 and 45) moved by Shri Madhusudan Mistry. Are you moving them?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I am not moving but I want to draw the attention of the Minister to Clause 31(2), which says that audited accounts of companies shall not normally be questioned. That is too much. It is against the principle of natural justice. Anyone can question the balance sheet of any company and so on. And the second Amendment is about where the employer is not to disclose any information contained in the balance sheet unless agreed by the employer. I think, that Clause is completely siding with the employer. I don’ t think that the Government should put this in the Bill. I am very happy if you kindly examine this. It is literally taking away my right or right of anyone to question the employer.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Madhusudan Mistry, are you moving the Amendments?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: No, Sir. I am not moving them.

Clause 31 was added to the Bill

Clauses 32 to 37 were added to the Bill

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 38, there is one Amendment (No. 46) by Shri Madhusudan Mistry. Mr. Madhusudan Mistry, are you moving the Amendment?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, I am on Clause 38. Sir, deducting any kind of money, the bonus itself is completely illegal. They are asking for a minimum wage and you are deducting bonus or making some other deduction from the minimum wage and the bonus. It is not fair because so many deductions will be listed in the earlier Clauses itself. Now, again, you also want to deduct it from the bonus and the minimum wages. I do not know who has put this kind of a provision under the Bill. You must examine this. Let us not simply go by whatever the bureaucracy has just put in.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Madhusudan Mistry, are you moving your Amendment?

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: No, Sir. I am not moving it.

Clause 38 was added to the Bill

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 39, there is one Amendment (No. 26) by Dr. T. Subbarami Reddy. Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving your Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: On this Clause, I have a small suggestion. The total period extended in case of payment of bonus for employees should not exceed 18 months. It is now 24 months. Just examine this. Sir, I am not moving it.

Clause 39 was added to the Bill

Clauses 40 to 50 were added to the Bill

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 51, there are two Amendments (Nos. 18 and 19) by Shri Elamaram Kareem. Are you moving your Amendments?

CLAUSE 51—APPOINTMENT OF INSPECTOR-CUM-FACILITATORS AND THEIR POWERS

SHRI ELAMARAM KAREEM : Sir, I move:

(No. 18) That at page 23, *for* the word "Inspector-cum-facilitator" wherever it occurs, the word "Inspector" , be *substituted.*

(No. 19) That at page 23, *for* line 21 to 22, the following be *substituted*, namely:-

"(b) inspect the establishments at a regular interval, as part of his mandated duty and initiate appropriate measures on the basis of his findings of inspection."

The question was put and the motion was negatived
Clause 51 was added to the Bill.
Clauses 52 and 53 were added to Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In Clause 54, there are five Amendments, Amendments (Nos. 3 to 6) by Shri Ripun Bora. He is absent. Amendment (No. 27) by Dr. T. Subbarami Reddy. Dr. T. Subbarami Reddy, are you moving your Amendment?

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, on Clause 54, I would like to say a small thing. An employer who is found guilty of committing an offence for the second time, he should be fined ₹ 2 lakhs instead of ₹ 1 lakh. Sir, I am not moving my Amendment.

Clause 54 was added to the Bill
Clauses 55 to 69 were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: Sir, I move:

That the Bill be passed.

SHRI ELAMARAM KAREEM: Sir, I want division.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let the lobbies be cleared. Secretary-General will explain the voting procedure.

SECRETARY-GENERAL: Hon. Members, the voting today again would be through the voting slips. The slips will be distributed to the hon. Members by the officials of the Secretariat. Hon. Members may cast their vote by ticking 'Ayes', 'Noes', 'Abstentions' as per their choice and hand-over the slips back to the officials after signing. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I shall now put the motion moved by the Minister to vote. The question is:

That the Bill be passed.

The House divided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Subject to correction.

Ayes : 85

Noes : 08

Ayes - 85

Agrawal. Dr. Anil

Akbar, Shri M. J.

Alphons, Shri K. J.

Athawale, Shri Ramdas

Baishya. Shri Birendra Prasad

Bajpai, Dr. Ashok

Baluni, Shri Anil

Banda Prakash, Dr.

Bhattacharya, Shri P.

Chandrasekhar, Shri Rajeev

Chhatrapati, Shri Sambhaji

Chowdary, Shri Y. S.

Dalwai, Shri Husain

Dasgupta, Shri Swapan

Dudi, Shri Ram Narain

Dungarpur, Shri Harshvardhan Singh

Ganguly, Shrimati Roopa

Gehlot, Shri Thaawarchand

Goel, Shri Vijay

Gohel, Shri Chunibhai Kanjibhai

Goyal, Shri Piyush

Jatiya, Dr. Satyanarayan

Javadekar, Shri Prakash

Judev, Shri Ranvijay Singh

Kanakamedala Ravindra Kumar, Shri

Kardam, Shrimati Kanta

Kashyap, Shri Ram Kumar

Ketkar, Shri Kumar

Lokhandwala, Shri Jugalsinh Mathurji

Mahatme, Dr. Vikas

Malik, Shri Shwait

Mandaviya, Shri Mansukh

Manilas, Shri Shamsher Singh

Mathur, Shri Om Prakash

Meena, Dr. Kirodi Lal

Mistry, Shri Madhusudan

Mohapatra, Dr. Raghunath

Muraledharan, Shri V.

Muthukaruppan, Shri S.

Nadda, Shri Jagat Prakash

Netam, Shri Ram Vichar

Oraon, Shri Samir

Panchariya, Shri Narayan Lal

Pandey, Ms. Saroj

Patra, Shri Sasmit

Perween, Shrimati Kahkashan

Poddar, Shri Mahesh

Prabhu, Shri Suresh

Pradhan, Shri Dharmendra

Puri, Shri Hardeep Singh

Rajbhar, Shri Sakaldeep

Ram Shakal, Shri

Ramesh, Shri C. M.

Ramesh, Shri Jairam

Rao, Shri G.V.L. Narasimha

Rao, Shri Garikapati Mohan

Reddy, Dr. T. Subbarami

Rupala, Shri Parshottam

Sable, Shri Amar Shankar

Sahasrabuddhe, Dr. Vinay P.

Selvaraj, Shri A. K.

Shukla, Shri Shiv Pratap

Singh, Shri Ajay Pratap

Singh, Shri Gopal Narayan

Singh, Shri K. Bhabananda

Sinha, Shri R. K.

Sinha, Shri Rakesh

Soni, Shri Kailash

Swamy, Dr. Subramanian

Tasa, Shri Kamakhya Prasad

Tendulkar, Shri Vinay Dinu

Thakur, Dr. C.P.

Tomar, Shri Vijay Pal Singh

Tundiya, Maliant Shambhuprasadji

Uikey, Shrimati Sampatiya

Vaishnaw, Shri Ashwini

Vats, Dr. D.P.

Venkatesh, Shri T. G.

Verma, Shri Ramkumar

Verma, Shrimati Chhaya

Vijila Sathyananth, Shrimati

Yadav, ShriB. Lingaiah

Yadav, Shri Bhupender

Yadav, Shri Harnath Singh

Yajnik, Dr. Amee

Noes-08

Baidya, Shrimati Jharna Das

Elangovan, Shri T. K. S.

Kareem, Shri Elamaram

Ragesh, Shri K. K.

Singh, Shri Sanjay

Somaprasad, Shri K.

Verma, Shri Ravi Prakash

Viswam, Shri Binoy

The Motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Bill is passed. There is one Message from the Lok Sabha. Secretary-General.

MESSAGE FROM LOK SABHA — *Contd.*

The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha.

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha, I am directed to enclose the Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 2nd August, 2019."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned till 11.00 am on Monday, the 5th August, 2019.

The House then adjourned at fifty-eight minutes past six of the clock till eleven of the clock on Monday, the 5th August, 2019.